

6

रसायन और उर्वरक संबंधी
स्थायी समिति
(2019-2020)
सत्रहवीं लोक सभा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2020-2021)

छठा प्रतिवेदन



सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2020/फाल्गुन, 1941 (शक)

"विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों सहित सभी संसदीय प्रकाशन बिक्री हेतु विक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन (दूरभाष सं. 23034726, 23034495, 23034496) पर, लोक सभा सचिवालय द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं के पास तथा प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली (दूरभाष सं. 24367260, 24365610) और उनके विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त जानकारी www.parliamentofindia.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संसद के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारिक मर्दें विक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली पर भी उपलब्ध हैं। संसदीय संग्रहालय के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारिक मर्दें, स्मारिका बिक्री केन्द्र (दूरभाष सं. 23035323), संसदीय संग्रहालय, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। इन वस्तुओं की सूची उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।"

छठा प्रतिवेदन
रसायन और उर्वरक संबंधी
स्थायी समिति
(2019-2020)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2020-2021)

20.03.2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
20.03.2020 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।



सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2020/फाल्गुन, 1941 (शक)

सी.सी.एंड.एफ. सं. 06

मूल्य : 91.00 रुपये

© 2020 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मसर्स चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

	पृष्ठ
समिति (2019-2020) की संरचना	(iii)
प्राक्कथन.....	(v)

प्रतिवेदन

अध्याय एक	प्रस्तावना	1
अध्याय दो	भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग का अवलोकन.....	3
अध्याय तीन	अनुदानों की मांगें (2020-21)	14
अध्याय चार	विभाग की योजनायें	18
अध्याय पांच	विभाग के पीएसयू/स्वायत्त संस्थाएं.....	27
अध्याय छह	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	48

भाग दो

टिप्पणियां और सिफारिशें	53
-------------------------------	----

परिशिष्ट

एक.	रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की 05.03.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	62
दो.	रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की 18.03.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	65

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि — समापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एम. बदरुद्दीन अज़मल
3. श्री रमाकान्त भार्गव
4. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
5. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा
6. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
7. श्री कृपानाथ मल्लाह
8. श्री सत्यदेव पचौरी
9. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
10. श्री अरुण कुमार सागर
11. श्री एम. सेल्वराज
12. श्री प्रदीप कुमार सिंह
13. श्री उदय प्रताप सिंह
14. श्री नंदीगम सुरेश
15. इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु
16. श्री एच. वसंतकुमार
17. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
18. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
19. श्री दीपक बैज
20. डॉ. मनोज राजोरिया
21. श्री श्रीनिवास पाटिल

राज्य सभा

22. श्री रंजिब बिस्वाल
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री अहमद अशाफाक करीम
26. श्री अमर सिंह
27. श्री विजय पाल सिंह तोमर
28. श्री अरुण सिंह
29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री मनोज कुमार अरोड़ा — विशेष कार्य अधिकारी (लो.स.स.)
2. श्री ए.के. श्रीवास्तव — निदेशक
3. श्री सी. कल्याणसुन्दरम — अपर निदेशक
4. श्री गगन कुमार — समिति अधिकारी
5. श्री पी. शिव प्रसाद — सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

में, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों के बारे में यह छटा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) की जांच की जिन्हें 11 फरवरी, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

समिति ने 05 मार्च, 2020 को हुई अपनी बैठक में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

समिति ने 26 मार्च 2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

समिति लिखित उत्तर देने और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दिए गए सहयोग तथा समिति के समक्ष अपने विचार रखने हेतु रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के अधिकारियों का आभार व्यक्त करती है।

संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली ;
18 मार्च, 2020

28 फाल्गुन, 1941 (शक)

कनिमोझी करुणानिधि,
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति।

प्रतिवेदन
भाग एक
अध्याय एक
प्रस्तावना

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग उद्देश्य और अधिदेश

1.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) का उद्देश्य है:

- i. देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के वृद्धि एवं विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना; और
- ii. उद्योग के उपर्युक्त क्षेत्रों चतुर्दिक विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का माहौल बनाना।

1.2 विभाग को निम्नांकित व्यापक विषय-वस्तुओं से संबंधित कार्य को निष्पादित करने का अधिदेश प्राप्त है:—

- i. कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968 का 46 के प्रशासन को छोड़कर), कीटनाशक;
- ii. डाई-सामग्री और डाई-इंटरमीडिएट;
- iii. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए हों;
- iv. विभाग द्वारा देखे जा रहे सभी उद्योगों का नियोजन, विकास और नियंत्रण और उनकी सहायता;
- v. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी उससे संबंधित विशेष कानून;
- vi. पेट्रोरसायन;
- vii. गैर-सेल्युलोज सिंथेटिक फाइबर (नाइलोन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक इत्यादि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग;
- viii. सिंथेटिक रबर; और
- ix. प्लास्टिक के फेब्रिकेशन सहित प्लास्टिक और मोल्डिड सामग्री।

1.3 विभाग के पांच प्रमुख प्रभाग हैं — रसायन, पेट्रोरसायन, प्रशासन, सांख्यिकी एवं मॉनीटरिंग (एस एंड एम) और आर्थिक प्रभाग। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में तीनों विभागों का एक ही एकीकृत वित्त प्रभाग है।

1.4 रसायन सेक्टर में तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) नामतः हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिल (इंडिया) लि. तथा एचओसीएल की सहायक कंपनी हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) और पेट्रोरसायन क्षेत्र में

एक सीपीएसयू, अर्थात्, ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लि. (बीसीपीएल) हैं। इस विभाग के अधीन सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) और इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) नामक स्वायत्त संस्थान हैं।

1.5 रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की विस्तृत मांग (2019-20) 11 फरवरी, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित मांग संख्या 5 के लिए बजट अनुमान (बीई) 218.34 करोड़ रु. है। समिति ने वर्ष 2020-21 के लिए विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की भलीभांति जांच की है। समिति की टिप्पणियों, सिफारिशों को रिपोर्ट के अंत में एक अलग अध्याय में दिया गया है। समिति को आशा है कि विभाग विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए धन के उचित और समय पर उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। समिति यह भी अपेक्षा करती है कि विभाग समिति की सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्य करे और इस रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की तारीख से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करे।

अध्याय दो

भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग का अवलोकन

2.1 रसायन उद्योग एक ज्ञानउन्मुखी एवं पूंजी प्रधान उद्योग है। यह उद्योग, बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्न घटक है। इसमें मूल रसायन एवं इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, रंग, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र एवं प्रसाधन सामग्री और औषधि शामिल हैं। रसायन उद्योग के भीतर व्यापक विविधता है और इसमें अस्सी हजार से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। यह उद्योग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक एवं कृषि विकास की रीढ़ है।

2.2 रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण ड्राइविंग इंजन में से एक है। आजादी से पहले, यह क्षेत्र मुख्य रूप से पूर्वी भारत में केंद्रित था, लेकिन बेहतर बुनियादी ढांचे और बंदरगाह सुविधाओं की उपलब्धता के कारण धीरे-धीरे गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानांतरित हो गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद से रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र कई गुना बढ़ गया है। आज, भारत उन देशों के लिए रसायनों और पेट्रो रसायन का निर्यात कर रहा है जहां से ये दशकों पहले आयात किए जाते थे।

2.3 औद्योगिक नीति, 1991 में इस क्षेत्र को लाइसेंस-मुक्त, विनियमित और नियंत्रण-मुक्त किया गया। इस नीति के अनुसार, नई क्षमताओं की स्थापना के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक नहीं है; नीचे दिए गए रसायनों/पेट्रोरसायनों, जो प्रकृति में खतरनाक हैं, को छोड़कर किसी नई क्षमता को स्थापित करने या किसी मौजूदा क्षमता के विस्तार के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से केवल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) की आवश्यकता है:

- (क) हाइड्रोसेनिक एसिड और इसके डेरिवेटिव। [इसमें आर्किलोनाइट्राइल (एसीएन), मिथाइल मैथा एक्रिलेट (एमएमए) और पॉली मिथाइल मैथा एक्रिलेट (पीएमएमए) आदि शामिल हैं]
- (ख) फोसगेन और इसके डेरिवेटिव (इसमें पॉलीकार्बोनेट शामिल है)।
- (ग) हाइड्रोकार्बन के आइसोसायनेट और डि-आइसोसाइनेट्स जो कहीं और और निर्दिष्ट नहीं है (उदाहरण मिथाइल आइसोसाइनेट)।

रसायन और पेट्रोरसायन का उत्पादन

2.4 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) के दौरान चयनित प्रमुख रसायनों और पेट्रोरसायन का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

4 चुनिंदा प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन

समूह	(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)							
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सीएजीआर	2019-20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक)	
एल्कली रसायन	6625	6802	7009	7631	8043	4.97	4112	
अकार्बनिक रसायन	944	1002	1053	1058	1064	3.03	499	
कार्बनिक रसायन	1619	1589	1638	1799	1884	3.87	922	
कीटनाशक	186	188	214	213	217	3.83	93	
रंजक एवं रंग द्रव्य	285	304	320	367	382	7.54	191	
कुल प्रमुख रसायन	9660	9884	10234	11069	11589	4.66	5817	
सिंथेटिक फाइबर	3532	3558	3599	3625	3601	0.49	1933	
पोलीमर	7558	8839	9163	9276	10040	7.36	4785	
इलास्टोमर्स	172	242	285	308	351	19.58	178	
सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट्स	596	566	664	743	687	3.63	337	
निष्पादन प्लास्टिक	1591	1700	1799	1719	1589	-0.04	821	
कुल प्रमुख पेट्रोरसायन	13448	14905	15510	15670	16269	4.88	8054	
कुल प्रमुख रसायन एवं पेट्रोरसायन	23108	24788	25744	26739	27858	4.78	13871	

नोट: वृहत एवं मध्यम आकार के अंतर्गत विनिर्माताओं से मासिक उत्पादन रिटर्न पर आधारित कुल रसायन एवं पेट्रोरसायन उत्पादन समाहित है। प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों की स्थापित क्षमता और उत्पादन का उत्पाद-वार और समूह-वार ब्योरा क्रमशः अनुबंध-1 एवं II में है।

रसायन क्षेत्र – उत्पादन रुझान

2.5 तालिका-II से यह देखा जा सकता है कि 2019-20 (सितम्बर, 2019 तक) के लिए प्रमुख रसायनों के कुल उत्पादन का 71% हिस्सा एल्कली रसायनों का है। 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) में प्रमुख रसायन का उत्पादन 6083 हजार मीट्रिक टन है जबकि 2018-19 (सितम्बर 2018 तक) की इसी अवधि में 6069 हजार मीट्रिक टन रहा। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान मूल प्रमुख रसायन के कुल उत्पादन में सीएजीआर 5.06% है।

पेट्रोरसायन क्षेत्र उत्पादन रुझान

2.6 पेट्रोरसायन उद्योग में मुख्य रूप से कमोडिटी पॉलिमर, सिंथेटिक फाइबर/यार्न, सिंथेटिक रबर (इलास्टोमर्स), सिंथेटिक डिटर्जेंट मध्यवर्ती और प्रदर्शन प्लास्टिक शामिल हैं। भारत में पेट्रोरसायन उद्योग तीव्र गति से बढ़ रहा है और देश में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत पिछले दशकों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। आज पेट्रोरसायन अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसमें कृषि, बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य सेवा, वस्त्र और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं शामिल हैं। पेट्रोरसायन उत्पाद कपड़े, आवास, निर्माण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, हाउस होल्ड आइटम, खिलौने, कृषि, सिंचाई और पैकेजिंग से लेकर चिकित्सा उपकरणों तक दैनिक उपयोग की वस्तुओं के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। पॉलिमर की विश्व प्रति व्यक्ति खपत लगभग 36 किलोग्राम है जो भारत की प्रति व्यक्ति खपत का लगभग 3 गुना है। पिछले एक दशक में, भारत की पेट्रोरसायन खपत लगभग 7-9% बढ़ रही है और लंबी अवधि में यह वृद्धि जारी रहने का अनुमान है। वर्तमान में, निम्नलिखित विवरणों के अनुसार लगभग 7.2 एमएमटीपीए की संयुक्त एथिलीन क्षमता के साथ ग्यारह नेपथा/गैस/दोहरे फीड क्रैकर कॉम्प्लेक्स प्रचालनरत हैं:-

क्र.सं.	स्वामी	क्रैकरों की संख्या	फीडस्टॉक	कुल डिज़ाइन क्षमता (केटीपीए एथिलीन)
1.	गेल	2	गैस	860
2.	एचपीएल	1	नेपथा	700
3.	आईओसीएल	1	नेपथा	857
4.	आरआईएल	5	गैस + नेपथा	3580
5.	बीसीपीएल	1	गैस + नेपथा	220
6.	ओपीएएल	1	गैस + नेपथा	1060
	कुल	11		7277

2.7 जब समिति ने देश में और अधिक क्रैकर परिसरों की स्थापना के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछताछ की ताकि देश की पेट्रोरसायन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिसके और बढ़ने का अनुमान है और वर्ष 2025 तक 5703 किलो टन प्रति वर्ष की कमी से संभावित नुकसान हो सकता है तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में इस प्रकार कहा है:

"पेट्रोरसायन क्षेत्र लाइसेंस मुक्त और नियंत्रण मुक्त है और इसलिए क्रैकरों की स्थापना में विभाग की कोई सीधी भूमिका नहीं है। हालांकि, विभाग ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अधिक संख्या में क्रैकरों की स्थापना हेतु आगे आने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करता है और सुविधा प्रदान करता है। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

- (क) पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) को बढ़ावा देना।
- (ख) नियमित रूप से इन्वेस्टरमीट, इंडिया-केम कार्यक्रम रोड शो का आयोजन करना।
- (ग) उचित टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों की सिफारिश करना।

कॉर्पोटकर दरों को कम करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं और लाभांश वितरण कर हटाने से भी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को सुधारने में मदद मिलने की संभावना है।"

अंतरराष्ट्रीय व्यापार

2.8 वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 में दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान रसायन और रासायनिक उत्पादों (ओषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा) के निर्यात और आयात का रुझान नीचे दिया गया है:-

क. निर्यात

एचएस कोड	वस्तु	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सीएजीआर		2019-20
							(%)	(अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कुल राष्ट्रीय निर्यात	1896445	1716384	1849434	1956515	2307726	5.03	1121475	111460
28	अकार्बनिक रसायन	8749	7913	9138	11175	14056	12.58	6980	6046
29	कार्बनिक रसायन	73069	75295	78386	95381	127567	14.95	60932	63377
32	टेनिंग या डाइंग	17206	16165	17189	18951	23124	7.67	11232	12288
38	विविध रासायनिक उत्पाद	19432	20083	21792	25080	32397	13.63	14588	17459
39	प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	31022	34381	35502	40928	56079	15.95	27101	25517
4002	सिंथेटिक रबर एवं फेक्टिस	379	452	480	571	739	18.13	383	369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	मानव निर्मित फिलामेंट	14621	13460	13334	13984	16018	2.31	7912	7934
55	मानव निर्मित फाइबर	13334	13625	14373	13212	13308	-0.05	6733	5932
क:	कुल रसायन और पेट्रोसायन उत्पाद	177813	181374	190193	219281	283287	12.35	135860	138922
	कुल निर्यात में % अंश	9.4	10.6	10.3	11.2	12.3		12.1	12.5

स्रोत: वाणिज्यिक एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) कोलकाता।

ख. आयात

		(करोड़ रुपए में)									
एचएस कोड	उत्पाद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सीएजीआर (%)	2018-19 से सितम्बर 2018 तक)	2019-20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	कुल राष्ट्रीय आयात	2737087	2490306	2577675	3001033	3594675	7.05	1794884	1734903		

28	अकार्बनिक रसायन	31413	33170	31654	38927	53237	14.10	27054	23512
29	कार्बनिक रसायन	108320	101986	103798	123761	156552	9.64	79718	75943
32	टेनिंग या डाइंग	9821	10467	11186	12995	15460	12.01	7745	7769
38	विविध रासायनिक उत्पाद	25494	27207	30642	35521	41748	13.12	20714	21972
39	प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	71398	74566	77573	89768	106591	10.54	53592	52849
4002	सिंथेटिक रबर एवं फेक्टिस	6697	5205	5654	6687	7896	4.20	4020	3255
54	मानव निर्मित फिलामेंट	5042	4879	4856	5538	6843	7.94	3241	3963
55	मानव निर्मित फाइबर	4539	4401	3826	4658	6508	9.43	3472	3670
ख:	कुल रसायन और पेट्रोसायन उत्पाद	262722	261880	269189	317856	394834	6.56	199557	250019
	कुल आयात में % अंश	9.6	10.5	10.4	10.6	11.0		11.1	14.4

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) कोलकाता।

2.9 आने वाले पांच वर्षों के लिए प्रमुख रसायनों और पेट्रोरसायन के लिए रसायनों और पेट्रोरसायन के उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात की जांच, रेखीय पूर्वानुमान सूत्र के अनुसार नीचे दिखाया गया है:—

अगले पांच वर्षों में उत्पादन की संभावना

वर्ष	उत्पादन (000 मीट्रिक टन में आंकड़े)		
	रसायन	पेट्रोरसायन	रसायन और पेट्रोरसायन
2019-20	12000	39241	51241
2020-21	12631	39570	52201
2021-22	13222	40528	53750
2022-23	13707	41579	55286
2023-24	14267	42510	56777

वर्ष	निर्यात (मात्रा) (000 मीट्रिक टन में आंकड़े)		
	रसायन	पेट्रोरसायन	रसायन और पेट्रोरसायन
2019-20	1770	10159	11928
2020-21	1901	11767	13668
2021-22	1978	13560	15539
2022-23	2131	14841	16972
2023-24	2266	16143	18409

वर्ष	आयात (मात्रा) (000 मीट्रिक टन में आंकड़े)		
	रसायन	पेट्रोरसायन	रसायन और पेट्रोरसायन
2019-20	6606	13284	19890
2020-21	6978	13494	20472
2021-22	7408	13773	21180
2022-23	7724	14049	21773
2023-24	8066	14554	22620

वर्ष	खपत (मात्रा) (000 मीट्रिक टन में आंकड़े)		
	रसायन	पेट्रोरसायन	रसायन और पेट्रोरसायन
2019-20	16836	42366	59202
2020-21	17708	41298	59006
2021-22	18652	40740	59392
2022-23	19300	40787	60087
2023-24	20068	40920	60988

स्रोत: डीसीपीसी का एस एंड एम डिबीजन।

2.10 मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने बताया कि 2018-19 के दौरान रसायनों और पेट्रोरसायनों के आयात के लिए 3.95 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में पूछताछ की, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के एक प्रतिनिधि के निम्नानुसार बताया है:—

"महोदय, जैसा कि सचिव ने शुरूआत में एक प्रस्तुति दी, यह हमारे विजन स्टेटमेंट में से एक है कि हम अपनी आयात निर्भरता को काम करेंगे। यह विशेष क्षेत्र, हालांकि इसमें बहुत अधिक क्षमता और अवसर हैं, यह ज्यादातर विभिन्न कारकों के कारण आयात-निर्भर है, जो आमतौर पर पूरे विनिर्माण क्षेत्र को बीमार कर रहा है। सबसे पहले, उत्पादन की लागत काफी अधिक है, जिसमें भूमि की लागत, पूंजी की लागत, और विभिन्न अन्य लागतें शामिल हैं जो कि संरचनात्मक बाधाओं के कारण बढ़ जाती हैं। रासायनिक और पेट्रोरसायन क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता आईटी क्षेत्र में बहुत अधिक है, क्योंकि आपको रसायनों के परिवहन के लिए पाइपलाइन की आवश्यकता होती है, आपको अपशिष्टों के निपटान के लिए सीईटीपी की आवश्यकता होती है, आपको भाप जैसी कई अन्य उपयोगिताओं की आवश्यकता होती है, आपको पानी की आवश्यकता होती है समुद्री जल नहीं, बल्कि पानी का सीमांकन किया जाता है, और आपको उपचार की सुविधा की आवश्यकता होती है। तो, ये उपयोगिताओं की आवश्यकताएं हैं। ढांचागत अड़चनें और उपयोगिताएँ पूरी उत्पादन प्रक्रिया में लागत बढ़ा देती हैं। इसके शीर्ष पर, भारत कच्चे और प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों में एक देश की कमी है, जो पेट्रोकेमिकल्स के लिए फीडस्टॉक हैं। जो भी क्यूड आयात हो रहा है, वह ज्यादातर पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन तेल के रूप में ऊर्जा की मांग को पूरा करने की ओर जा रहा है और बहुत कम पेट्रोरसायन की ओर जा रहा है। यह सब पेट्रोरसायन के उत्पादन की उच्च

लागत को बढ़ा रहा है, अन्य निकटवर्ती देशों की तुलना में जो बहुत अधिक सब्सिडी दे रहे हैं और परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत बहुत कम है। हमारे उत्पाद प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक आयात हो रहा है। यह विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों का अनुभव रहा है। उदाहरण के लिए, एचओसीएल, जिसे रसायनी में बहुत अच्छी सुविधा थी, को बंद करना पड़ा क्योंकि वे सभी उत्पाद जो यह उत्पादन कर रहे थे, वह थाईलैंड और चीन जैसे निकटवर्ती देशों से बहुत सस्ते मूल्य पर आने लगे। वर्तमान में, कोच्चि में केवल एक इकाई है, जो फिनोल का उत्पादन कर रही है। हमने पिछले साल बहुत लाभ कमाया लेकिन इस साल हम फिर से मुश्किल में हैं क्योंकि मलेशिया, थाईलैंड और अन्य देशों से काफी सस्ता आयात हो रहा है। आयात में वृद्धि का मूल कारण विभिन्न अन्य कारकों के साथ मिलकर उत्पादन की उच्च लागत है। आर्थिक वृद्धि की वजह से मांग उत्पन्न हो रही है और आयात से इसे पूरा किया जा रहा है।"

2.11 आगे समिति ने पूछा कि आयात निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, विभाग के एक प्रतिनिधि ने कहा कि:-

"विभाग ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए एक बहुत की सचेत समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। यह विजन कथन का एक हिस्सा है। यह न केवल सुरक्षा दे रहा है, बल्कि एक विशेष क्षेत्र में निवेश की सुविधा भी प्रदान कर रहा है और अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर रहा है ताकि हमारे पास अधिक उत्पादन क्षमता हो और बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सके। यह विश्लेषण किया गया है कि क्यों निवेश भारत में नहीं आ रहे हैं और कुछ अन्य निकटवर्ती देशों में जा रहे हैं। शुल्क संरचना सहित एक व्यापक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया है।"

2.12 इस संबंध में, विभाग का साक्ष्योपरांत उत्तर निम्नानुसार है:-

"रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने भारतीय उद्योग की रक्षा करने, मौजूदा स्थापित घरेलू क्षमता का पूर्ण उपयोग, भारत में डंपिंग से बचने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) के युक्तिकरण के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) से सिफारिश की है।"

2.13 रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याएं:

यह क्षेत्र निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है:-

- i. पूंजी की उच्च लागत और तुलनात्मक रूप से महंगी बिजली।
- ii. पूंजी गहन उद्योग और मेगा निवेश करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की कमी।

- iii. विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का अभाव।
- iv. विश्व स्तर के क्षमता संयंत्रों का अभाव।
- v. विशेष पेट्रोरसायन और रासायनिक उत्पादों के लिए नजदीकी से संरक्षित प्रौद्योगिकियां।
- vi. ऊर्जा सुरक्षा पर प्राथमिक ध्यान, परिणामस्वरूप रसायनों और पेट्रोरसायन के बजाय गैसोलीन का उत्पादन।
- vii. उद्योग के कई खिलाड़ियों के लिए लाभप्रद फीस्टॉक की अनुपलब्धता; फीडस्टॉक को केवल कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनका रिफाइनरियों और पेट्रोरसायन के साथ बैकवर्ड एकीकरण है।
- viii. कठिन और समय खाने वाले अनुमोदन, विशेष रूप से पर्यावरण मंजूरी आदि प्राप्त करने में।

अध्याय तीन

अनुदानों की मांगे (2020-21)

क. मांग संख्या 5

3.1 2020-21 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित बजट अनुमान निम्नानुसार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

लेखा	2018-19	2019-20		2020-21
	वास्तविक	बीई	आरई	बीई
राजस्व	339.86	263.65	370.18	218.34
पूंजी	0	-	-	-
कुल	339.86	263.65	370.18	218.34

3.2 यह पूछे जाने पर कि बजट अनुमान को 218.34 करोड़ रुपये पर निर्धारित करने का तर्क क्या है जो 2019-20 के लिए आरई और 2018-19 के लिए वास्तविक व्यय (339.86 करोड़ रुपये) से कम है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

"वित्त मंत्रालय ने विभाग को बीई 2020-21 में 227.56 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित परिव्यय के विरुद्ध 218.34 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, (सिपेट) के लिए मुख्य रूप से कुल मिलाकर 98.25 करोड़ रुपये और पेट्रोरसायन (एनएसपी) की नई योजनाओं के लिए 53.79 करोड़ रुपये शामिल थे। बजट अनुमान 2019-20 में वित्त मंत्रालय ने 263.65 करोड़ रुपये का आवंटन किया। तथापि, पहली अनुपूरक स्टेज में विभाग ने लागत बढ़ जाने के कारण एजीसीपी की देनदारियों को कम करने के लिए नकद अनुपूरक के रूप में 100.00 करोड़ रुपये और भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 6.53 करोड़ रुपये प्राप्त किए। कुल बजट अनुमान के 263.65 करोड़ रुपये रहने के बावजूद मुख्यतः लागत बढ़ जाने के कारण एजीसीपी की देनदारियों को कम करने के लिए 100.00 करोड़ रुपये और भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 6.53 करोड़ रुपये के कारण आरई को बढ़ाकर 370.18 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 2018-19 के आरई में, वित्त मंत्रालय ने 399.65 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिसमें लागत बढ़ जाने के कारण एजीसीपी की देनदारियों को कम करने के लिए नकद अनुपूरक के रूप में 200.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कुल बीई के 399.65 करोड़ रुपये रहने के बावजूद, मुख्यतः एनएसपी में मुख्य रूप से 2018-19 की पहली और दूसरी तिमाही में रिलीज/खर्च में कमी के कारण आरई को कम करके 340.99 करोड़ रुपये कर दिया गया था।"

3.3 वर्ष 2020-21 के दौरान 227.56 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कुल परिव्यय के विरुद्ध वित्त मंत्रालय ने 218.34 करोड़ रुपये का आवंटन किया। विभाग द्वारा आगे इसका योजना-वार निम्नानुसार आवंटन किया गया:-

(रुपये करोड़ में)			
क्र. सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित बीई 2020-21	अनुमोदित 2020-21
I. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1.1	असम गैस क्रेकर परियोजना (एजीसीपी)	0.01	0.01
1.2	पेट्रोरसायन की नई स्कीमें	60.86	53.79
1.3	रसायन संवर्धन एवं विकास स्कीम (सीपीडीएस)	3.50	3.50
	कुल	64.37	57.30
II. अन्य केन्द्रीय व्यय (सचिवालय/बीजीएलडी/एबीएस/पीएसयू)			
2.1	सचिवालय/आर्थिक सेवाएं	22.14	19.99
2.2	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	98.25	98.25
2.3	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)	11.00	11.00
2.4	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	0.00	0.00
2.5	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स (एचआईएल)	0.00	0.00
2.6	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल)	0.00	0.00
2.7	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	31.80	31.80
	कुल	163.19	161.04
	सकल योग	227.56	218.34

3.4 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से वित्त मंत्रालय हेतु प्रत्यायित निधियों की आवश्यकता के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये विभाग हेतु प्रदान किए गये बजटीय समर्थन की पर्याप्तता पर अपनी टिप्पणी करने हेतु हुए कहा गया। इस संबंध में विभाग ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

"विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित आवंटन 227.56 करोड़ रुपये के विपरीत स्वीकृत बीई आवंटन 218.34 रुपये है। बीई स्तर पर विभाग को 2020-21 के दौरान प्रस्तावित आवंटन की तुलना में आवंटन में कमी का प्रभाव मुख्य रूप से पेट्रोरसायन की नई योजना के कार्यान्वयन पर पड़ेगा। बीई 2020-21 में आवंटित 218.34 करोड़ रुपये प्रभाग की आवश्यकतानुसार आगे आवंटित किया गया है।

3.5 समिति ने आगे विभाग से यह पूछा कि 2020-21 के लिए प्रस्तावित बीई का 218.3 करोड़ रुपये विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए परिकल्पित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभाग की किस प्रकार मदद करेंगे और वित्त मंत्रालय द्वारा निधि कटौती के कारण विभाग की पहल के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है। इस संबंध में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया कि:—

वर्ष 2020-21 के लिए विभाग के पास 218.34 करोड़ रुपये का आवंटन है। आवश्यकता निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए थी:—

सिपेट:— रसायन और पेट्रोरसायन विभाग अपनी सिविल और तकनीकी अवसंरचना सुविधाओं, अनुसंधान और विकास क्षमताओं और शैक्षिक और प्रशिक्षण पहल को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए बीई स्टेज पर सिपेट को 98.25 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई है:—

- एक. आवासीय छात्रावासों का निर्माण।
- दो. उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी बुनियादी सुविधाओं और क्षमताओं को समृद्ध करना।
- तीन. जयपुर (राजस्थान) में एचएलसी की स्थापना।
- चार. रांची (झारखंड) में ओएलसी की स्थापना।
- पांच. चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में ओएलसी की स्थापना।
- छह. देहरादून (उत्तराखंड) में ओएलसी की स्थापना।
- सात. वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में वीटीसी की स्थापना।
- आठ. जम्मू/कश्मीर में वीटीसी की स्थापना।

नौ. मोतिहारी/भागलपुर (बिहार) में वीटीसी की स्थापना।

दस. मुंबई (महाराष्ट्र) में वीटीसी की स्थापना।

ग्यारह. उन्नत पॉलिमर डिजाइन और विकास अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना।

3.6 2020-21 में, योजना के अंतर्गत प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए कार्यकलापों हेतु एनएसपी को बीई स्टेज पर 53.79 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 2020-21 के दौरान प्रस्तावित फंडों का विवरण नीचे दिया गया है:—

1. ओडिशा प्लास्टिक पार्क— तीसरी किश्त की शेष राशि	=	06.12 करोड़ रुपये
2. तमिलनाडु प्लास्टिक पार्क— दूसरी किश्त	=	12.88 करोड़ रुपये
3. झारखंड प्लास्टिक पार्क— दूसरी किश्त	=	11.79 करोड़ रुपये
4. बिलौआ, एमपी प्लास्टिक पार्क— दूसरी किश्त की शेष राशि	=	08.13 करोड़ रुपये
5. तमोट, एमपी प्लास्टिक पार्क— अंतिम किश्त का भाग	=	04.10 करोड़ रुपये
6. असम प्लास्टिक पार्क— तीसरी किश्त का भाग	=	07.00 करोड़ रुपये
7. कार्यक्रम प्रबंधक शुल्क	=	00.05 करोड़ रुपये
8. आईआईटी रुड़की में सीओई— अंतिम किश्त	=	02.32 करोड़ रुपये
9. एनसीएल, पुणे में सीओई— अंतिम किश्त	=	01.40 करोड़ रुपये
कुल		53.79 करोड़ रुपये (लगभग)

3.7 उपर्युक्त के मद्देनजर विभाग का यह मत है कि वर्ष 2020-21 के लिए 9.22 करोड़ रुपये के कटौती बजट के कारण, एनएसपी के लिए विकासात्मक गतिविधियों की गति कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है।

अध्याय चार

विभाग की योजनायें

4.1 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग दो केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें कार्यान्वित कर रहा है अर्थात् पेट्रोरसायन की नई योजनायें [प्लास्टिक पार्क योजना तथा उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) योजना] और रासायनिक संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)

(करोड़ रुपये में)

मद	वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक	
पेट्रोरसायन	2015-16	58.41	12.50	09.06	70.80%
की नई	2016-17	48.00	48.00	33.84	70.50%
योजनाएं	2017-18	48.00	26.51	10.80	40.53%
	2018-19	55.50	19.00	19.00	100.0%
	2019-20	31.65	31.65	27.75	87.68%
	2020-21	53.79			

(क) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

4.2 इस योजना का लक्ष्य घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित एवं एकीकृत करने के लिए क्लस्टर विकास एप्रोच के माध्यम से अत्याधुनिक अवसंरचना एवं सहायक समान सुविधाओं वाले एक इको-सिस्टम के रूप में आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्क की स्थापना करना है। इस योजना का वृहद लक्ष्य इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ा कर एवं रोजगार भी सृजित कर अर्थव्यवस्था में योगदान देना है।

4.3 भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की सीमा तक परियोजना लागत के 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। शेष परियोजना लागत का वित्तपोषण राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य सरकार की ऐसी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योगों और वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा किया जाता है।

4.4 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत छह प्लास्टिक पार्कों की स्थिति निम्नवत् है:—

	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजना के लिये अनुमोदित कुल जीओआई सहायता
मध्य प्रदेश (तमोट)	09.10.2013	108	40
ओडिशा (पारादीप)	09.10.2013	106.78	40
असम (तिनसुकिया)	21.12.2014	93.65	40
झारखंड (देवगढ़)	20.12.2018	67.33	33.67
मध्य प्रदेश (ग्वालियर)	20.12.2018	68.72	34.36
तमिलनाडु (तिरुवल्लुर)	05.09.2019	216.92	40.00

4.5 प्लास्टिक पार्कों की धीमी प्रगति के कारणों तथा वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित सूचना दी:—

- एक. **तमोट, मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क** : पार्क की भौतिक प्रगति पूरी हो गई है और सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के कुछ उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है।
- दो. **तिनसुकिया, असम प्लास्टिक पार्क** : कानून और व्यवस्था के बारे में निवेशकों के मन में धारणाओं/आशंकाओं और स्थानीय उद्यमियों में कम रुचि के कारण बार-बार कोशिशों के बावजूद असम प्लास्टिक पार्क की प्रगति रुक गई है। क्षेत्र में लगातार बारिश और बाढ़ भी देरी का कारण है। क्षेत्र में विरोध के कारण हुए व्यवधान से काम में देरी हुई। हालांकि, अभी कार्य प्रगति पर है।
- तीन. **पारादीप, ओडिशा प्लास्टिक पार्क** : ओडिशा प्लास्टिक पार्क की भौतिक प्रगति लगभग पूरी हो चुकी है और इसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।
- चार. **तिरुवल्लुर, तमिलनाडु, प्लास्टिक पार्क** : पहले का भूमि क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) के अंतर्गत आता था, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा स्थान बदलना पड़ा था। नए स्थान के लिए अनुमोदन सितंबर 2019 में प्रदान किया गया था। अब राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारों को काम प्रदान कर दिया गया है और जल्द ही कार्य आरंभ किया जाएगा।

पांच. **बलौआ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क** : पार्क में भौतिक बुनियादी ढांचे की प्रगति की गति प्रस्तावित समय-सीमा के अनुरूप है और लगभग 50% काम अब तक पूरा हो चुका है। इस परियोजना के 3 साल की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

छह. **देवघर, झारखंड प्लास्टिक पार्क** : सितंबर-2019 में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद प्लास्टिक पार्क का काम शुरू हुआ और अब यह कार्य प्रगति पर है।

4.6 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्लास्टिक पार्कों को पूरा करने के लिए तीन वर्ष निर्धारित हैं। इन पार्कों में इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न कारणों से उद्यमियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं है। हालांकि, एसपीवी, उद्योग संघों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्लास्टिक पार्कों की मार्केटिंग के माध्यम से सभी प्रयास कर रहा है और आकर्षक प्रोत्साहन योजनाओं की पेशकश भी कर रहा है। विभाग ने लीज किराए पर जमीन देने का भी सुझाव दिया। कठिनाइयों को दूर करने के लिए सचिव, सदस्यों के रूप में अन्य हितधारक और सचिव, उद्योग, ओडिशा सरकार की अध्यक्षता में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना हेतु दिशा-निर्देशों की समीक्षा और संशोधन के लिए एक समिति गठित की गई है।

4.7 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभाग द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

"प्लास्टिक पार्क परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सृजित स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा स्थापित की जा रही हैं। विभाग परियोजना लागत के 50% या 40 करोड़ रुपये तक, जो भी स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार कम हो, वित्तीय सहायता करता है, और प्लास्टिक पार्कों की प्रगति की निगरानी करता है। विभाग प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करके, समीक्षा बैठकों का आयोजन करके और फील्ड दौरों से निरंतर राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई करता है। स्कीम स्टीयरिंग कमेटी (एसएससी) भी प्लास्टिक पार्कों की प्रगति की समीक्षा करती है। राज्य सरकारें उद्योग संघों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्लास्टिक पार्कों के विपणन के माध्यम से सभी प्रयास कर रही हैं और वे आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं भी दे रही हैं।

विभाग ने उद्यमियों को नाममात्र दरों पर लीज रेंट के आधार पर जमीन देने का सुझाव दिया। विभाग ने तिनसुकिया, असम प्लास्टिक पार्क में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके लिए मेसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) ने तिनसुकिया, असम प्लास्टिक पार्क में भावी यूनिटों के लिए 500/मीट्रिक रु. की अतिरिक्त छूट सहित 750/एमटी रु. की सीमा तक विशेष छूट देने के द्वारा प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चे माल की पेशकश की।"

4.8 जब समिति ने 6 प्लास्टिक पार्कों जो पहले ही कार्यान्वनाधीन है सहित स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित 4 प्लास्टिक पार्कों की स्थिति के बारे में पूछा तब विभाग ने अपने लिखित उत्तर में यह सूचना दी है कि:—

4 प्लास्टिक पार्क, जिनके लिए पूर्व में 18.02.2016 को "सैद्धांतिक अनुमोदन" दिया गया था वे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। संबंधित प्लास्टिक पार्कों की राज्य सरकारों को अपने राज्य में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए 'अंतिम अनुमोदन' के लिए अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- (क) **उत्तराखंड प्लास्टिक पार्क** : उत्तराखंड राज्य सरकार ने केवल फरवरी, 2020 में संशोधित डीपीआर प्रस्तुत किया है और वर्तमान में विभाग द्वारा गठित एक समिति डीपीआर का मूल्यांकन किया जा रहा है।
- (ख) **छत्तीसगढ़ प्लास्टिक पार्क** : राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 02.03.2020 को आयोजित एसएससी की 19वीं बैठक में, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अपनी संशोधित डीपीआर तुरंत प्रस्तुत करने आ आश्वासन दिया है, जिसमें विफल रहने पर उन्हें दिया गया 'सैद्धांतिक' अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा।
- (ग) **हरियाणा प्लास्टिक पार्क** : राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 02.03.2020 को आयोजित एसएससी की 19वीं बैठक में, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अपनी संशोधित डीपीआर तुरंत प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है, जिसमें विफल रहने पर उन्हें दिया गया 'सैद्धांतिक' अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा।
- (घ) **पश्चिम बंगाल प्लास्टिक पार्क** : पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने के बाद प्लास्टिक पार्क परियोजना में कोई रुचि नहीं दिखाई है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा बुलाई गयी बैठकों में राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। उपरोक्त के मद्देनज़र, पश्चिम बंगाल प्लास्टिक पार्क को दिया गया 'सैद्धांतिक' अनुमोदन वापस लिया जा रहा है।

4.9 विभाग से आगे यह पूछा गया कि क्या विभाग ने राज्य सरकारों के साथ धीमी प्रगति के मामले को उठाया था, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया कि:—

"विभाग लगातार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा, समीक्षा बैठकों और क्षेत्रीय दौरे आदि के द्वारा राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाता है। योजना संचालन समिति (एसएससी) भी प्लास्टिक पार्क की प्रगति की समीक्षा करती है।"

4.10 जब आगे यह पूछा गया कि क्या विभाग का राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि वे इस उद्देश्य के लिए तय समय-सीमा के भीतर प्लास्टिक पार्क स्थापित करने से संबंधित कार्यों को पूरा कर सकें तब विभाग ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया कि:-

"विभाग योजना संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता करता है और प्लास्टिक पार्कों की प्रगति की निगरानी भी करता है। विभाग रोड शो, इनवेस्टर्स मीट, उद्योग संघों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी की व्यवस्था के द्वारा उनके प्लास्टिक पार्क को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकारों का मार्गदर्शन भी करता है।"

4.11 मौखिक साक्ष्य के दौरान जब यह पूछा गया कि इन प्लास्टिक पार्कों के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या किया गया है तो विभाग के एक प्रतिनिधि ने बताया:-

"महोदया, हमने तीन मोर्चों पर काम किया है। एक, हमने उन सभी को बुलाया है जो प्लास्टिक पार्कों के प्रभारी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर और राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर और राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। सचिव की अध्यक्षता में, हमने संचालन समिति की बैठक में उनके साथ चर्चा की है। मुख्य अड़चन भूमि की लागत थी। राज्य सरकार उन्हें वह राशि जमा करने के लिए कर रही थी जो जमीन के बदले में बहुत बड़ी थी। इसलिए, हमने उन्हें पट्टे या किराये के आधार पर जमीन देने की सलाह दी। दूसरी बात, हमने उन्हें भी आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार को लाभ के लिये परियोजना पर काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार जब ये पार्क आबाद हो जाते हैं तो अन्य लाभ राज्य को मिलेंगे। इसलिए, हमने उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्होंने भूमि की लागत में लगभग 50 प्रतिशत की कमी की है। तीसरा, बीसीपीएल के माध्यम से हमने उन्हें संभावना का पता लगाने के लिये लिखा है ताकि रियायती आधार पर उद्योग स्थापित करने के लिए प्लास्टिक पार्कों में आने वाले लोगों को कच्चा माल मुहैया कराया जा सके। इसलिए, उन्होंने एक निर्णय लिया है। अब, पूर्वोत्तर में विशेष रूप से तिनसुकिया जिले, असम प्लास्टिक पार्क में, जो लोग वहां इकाइयां स्थापित कर रहे हैं, उन्हें 1250/-रु. की सस्ती दर पर कच्चा माल मिलेगा जो बाजार दर से कम है। तो, ये वो चीजें हैं जो हम इसे बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। तदनुसार परिणाम सकारात्मक हैं।"

(ख) पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना

4.12 इस योजना का लक्ष्य देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी व अनुसंधान में सुधार करना तथा पॉलीमर व प्लास्टिक में नए प्रयोग के विकास को संवर्द्धित करना है। 2017 तक कार्यान्वित स्कीम के फेज-1 में, भारत सरकार ने 3 वर्षों की अवधि के लिए 6 करोड़ रु. की ऊपरी सीमा के अध्यक्षीन परियोजना की सकल लागत के

अधिकतम 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की। परिवर्तित दिशा-निर्देशों के साथ 2016-17 में स्कीम को बढ़ा कर 2020 तक कर दिया गया जिसका उद्देश्य अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रयोगशाला से उद्योग तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और प्रति सीओई 5 करोड़ रुपए का वित्त पोषण करना है।

अब तक प्रतिष्ठित शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों के परिसरों में आठ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्वीकृत और निम्नलिखित विवरणों के अनुसार स्थापित किए गए हैं:-

क्र. सं.	संस्थान का नाम जहां उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किया गया	उत्कृष्टता केंद्र का शीर्षक	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	जीओआई अनुदान स्वीकृत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	अनुसंधान और नवाचार के लिए सतत पॉलिमर उद्योग	12.00	6.00
2.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई	ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (जीआरईईटी)	18.98	6.00
3.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	सतत हरी सामग्री	15.045	6.00
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	उन्नत पॉलिमर सामग्री	12.00	6.00
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	सस्टेनेबल पोलीमर्स (सुस-पोल)	14.74	6.00
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	प्रक्रिया विकास, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अपशिष्ट जल प्रबंधन	13.13	4.40
7.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	बायो-इंजीनियर सस्टेनेबल पॉलिमर सिस्टम	10.01	5.00
8.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	अनुकूलित एडिटीव विनिर्माण के लिए विशिष्ट पॉलिमर	5.60	2.80

4.13 योजना के चरण-1 के तहत स्थापित किए गए उत्कृष्टता केंद्रों के निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया है कि उत्कृष्टता केंद्रों के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	उत्कृष्टता केंद्र	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
1.	सिपेट, चेन्नई में टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा के सहयोग से ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क (ग्रीट) पर उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृति दिनांक: 23.03.2011	(i) हल्के और टिकाऊ संकर ग्रीन कंपोजिट ऑटो पार्ट्स के डिजाइन और इंजीनियरिंग; (ii) डाइमेंशली और थर्मली स्टेबल ग्रीन कंपोजिट का विकास; (iii) निष्पादन मूल्यांकन, जीवन चक्र विश्लेषण, पुनरावर्तन और प्रोटोटाइपिंग।	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन कुशल ऑटोमोबाइल के लिए लंबे और छोटे फाइबर प्रबलित कंपोजिट और नैनोकंपोजिट से हल्के वजन वाले टिकाऊ बायो कंपोजिट का विकास। प्राकृतिक फाइबर डेरिवेटिव से नैनो वृद्धि कारक संरचनात्मक हाइब्रिड कंपोजिट का विकास। आंतरिक और बाहरी ऑटो भागों के लिए कार्यात्मक बहुलक मिश्रणों और नैनोकॉम्पोजिट का उपयोग।
2.	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में (एनसीएल), पुणे में रिसर्च इन्नोवेशन एंड ट्रेनिंग (सीओई-एसपी आईआरआईटी) के माध्यम से सतत पॉलिमर उद्योग पर उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृति दिनांक: 23.03.2011	(i) अनुसंधान और वैज्ञानिक सेवा कार्यक्रम (आरएसएसपी)-रिएक्टर-स्ट्रक्चर-प्रॉपर्टी रिलेशनशिप (आरएसपीआर) पर मौलिक शोध (इसमें रिएक्टर मॉडलिंग, प्रसंस्करण सिमुलेटर और संरचना विकास शामिल है); तथा (ii) लर्निंग एंड शेयरिंग प्रोग्राम (एलएसपी)।	<ul style="list-style-type: none"> मेटा-स्थिर पॉलीथीन के नए वर्ग के लिए उत्प्रेरक विकास। भारतीय उद्योगों की मदद के लिए सीओई सुविधाओं का उपयोग भी किया गया है और यूजी/पीजी छात्रों को नाममात्र की दरों पर पॉलिमर की विशेषता बताने के लिए भी किया गया और अब तक परीक्षण गतिविधियों से लगभग 21 लाख रुपये

1	2	3	4
			<p>का राजस्व प्राप्त हुआ है।</p> <ul style="list-style-type: none"> इस अवधि में, दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रायोजित किया गया है: <ol style="list-style-type: none"> मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के साथ नॉवेल यूएचएम डब्ल्यूपीई ब्लेंडस, और मैसर्स गुलब्रेंडसन के साथ पीई वेक्सिस का रासायनिक विश्लेषण जिसकी सामूहिक कीमत 50 लाख रु. है।
3.	आईआईटी, दिल्ली में उन्नत पॉलिमर सामग्री पर उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृति दिनांक: मार्च, 2013	(ए) नई नैनो के विकास को सक्षम करने के लिए पॉलिमर नैनो-कॉम्पोजिट्स का निर्माण और उनके प्रदर्शन का आकलन; (बी) ईएमआई परीक्षण अनुप्रयोगों के लिए बहुलक आधारित कंपोजिट और अन्य सामग्रियों का संश्लेषण और लक्षण वर्णन; तथा	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न विषयों पर विभिन्न अध्ययन किए गए हैं <ol style="list-style-type: none"> भरा हुआ एक्रिलाट आधारित रेस्टोरेटिव कंपोजिट। पीएलए/एसईबीएस-जी-एमए मिश्रण पॉली लैक्टिक एसिड आधारित मिट्टी नैनोकंपोजिट्स की एसओ-सीओ₂ प्रक्रिया क्षमता। ईएमआई परिरक्षण अनुप्रयोगों के लिए कार्यात्मक पॉलीप्रोपाइलीन रैंडम कॉपोलीमर कंपोजिट विकसित किए गए हैं।
4.	सिपेट, भुवनेश्वर में मिशीगन स्टेट	चरण I: वनस्पति/वनस्पति तेलों (गोर-खाद्य) से जैव-	<ul style="list-style-type: none"> पादप तेलों से जैव आधारित रेजिन

1	2	3	4
	<p>यूनिवर्सिटी (एमएसयू), यूएसए के सहयोग से सस्टेनेबल ग्रीन मैटेरियल पर उत्कृष्टता केंद्र</p> <p>स्वीकृति दिनांक: मार्च, 2013</p>	<p>रेजिन; द्वितीय चरण II: अक्षय संसाधनों से उन्नत क्यूरेटिंग तंत्र के साथ जैव-आधारित चिपकने/कोटिंग की सामग्री; तृतीय: चरण III: जैव-राल/पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से मिश्रण और कंपोजिट</p>	<p>I. उनके पेट्रोलियम आधारित काउंटर-पुर्जों के साथ जैव रेजिन का तुलनात्मक विश्लेषण।</p> <p>II. चिपकने वाला और कोटिंग करने के लिए विशिष्ट लक्षण वर्णन अध्ययन</p> <ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण के अनुकूल पुनर्नवीनीकरण पॉलिमर मिश्रण <p>I. प्राप्त प्लास्टिक का गुणधर्म विश्लेषण वर्जिन सामग्री के साथ उनकी तुलना</p> <p>II. प्राप्त प्लास्टिक के उपयोगी गुणों को बढ़ाने के लिए नवयोगिकों का विकास।</p> <ul style="list-style-type: none"> उच्च अवरोध पीएलए-चिटोसन आधारित फिल्मों के लिए अप्रत्यक्ष व्यवहार्य प्रक्रिया सफलतापूर्वक हासिल की गई। परिष्कृत पॉलिमर प्रयोगशालाएँ विकसित की गई हैं। क्योटो, जापान में एएसपी 16 सम्मेलन का आयोजन किया। सीओई-सुसपोल की गतिविधियां ताइवान, आईआईटी दिल्ली, गुल्फन, कनाडा में प्रस्तुत की गईं।
5.	<p>आईआईटी, गुवाहाटी में सस्टेनेबल पॉलिमर के लिए उत्कृष्टता केंद्र</p> <p>स्वीकृति दिनांक: मार्च, 2013</p>	<p>पेट्रोएसायन और नवीकरणीय जैव-फीडस्टॉक दोनों का उपयोग करके बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर आधारित अंत उत्पादों के उत्पादन के लिए लागत प्रभावी और मापनीय प्रौद्योगिकियों का विकास करना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> उच्च अवरोध पीएलए-चिटोसन आधारित फिल्मों के लिए अप्रत्यक्ष व्यवहार्य प्रक्रिया सफलतापूर्वक हासिल की गई। परिष्कृत पॉलिमर प्रयोगशालाएँ विकसित की गई हैं। क्योटो, जापान में एएसपी 16 सम्मेलन का आयोजन किया। सीओई-सुसपोल की गतिविधियां ताइवान, आईआईटी दिल्ली, गुल्फन, कनाडा में प्रस्तुत की गईं।

अध्याय पांच

विभाग के पीएसयू/स्वायत्त संस्थाएं

क. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.1 विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र (सीपीएसयू) के तीन उपक्रम हैं, यथा-हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), जोकि (एचओसीएल) की अनुषंगी है तथा एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड और दो स्वायत्त संस्थान हैं, नामतः सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) और इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मूलेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) है।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

5.2 हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को रसायनों/मध्यवर्तियों के लिए विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के लिए सरकारी कंपनी के रूप में 12 दिसम्बर, 1960 को विनिर्गमित किया गया था, जिनकी आवश्यकता रंजक, रंजक-मध्यवर्तियों, रबर रसायनों, कीटनाशकों, औषधों और भेषजों, लेमिनेट्स आदि के उत्पादन में होती है। कंपनी की दो विनिर्माण इकाइयां हैं, जो रसायनी (महाराष्ट्र) और कोच्चि (केरल) में स्थित हैं। रसायनी यूनिट (रसायन परिसर) ने वर्ष 1970-71 से उत्पादन शुरू किया था और कोच्चि यूनिट (फिनाॅल कॉम्प्लेक्स) ने वर्ष 1987-88 से उत्पादन करना प्रारंभ किया था। कंपनी, कोच्चि यूनिट में फिनाॅल, एसीटोन और हाईड्रोजन पेरोक्साइड तथा रसायनी यूनिट में कन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड (सीएनए) तथा डाईनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (N₂O₄) का उत्पादन कर रही है। एचओसीएल की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 370 करोड़ रुपए और 337.27 करोड़ रुपए (67.27 करोड़ रुपए की इक्विटी और 270 करोड़ रुपए के वरीयता शेयर शामिल हैं) हैं। भारत सरकार के पास कंपनी की इक्विटी के 58.78% और सारे वरीयता शेयर हैं। एचओसीएल बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।

5.3 1990 के शुरू में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण, वर्ष 1997-98 में पहली बार एचओसीएल घाटे में गई। लगातार हानि होने के कारण वर्ष 2003-04 तक कंपनी का नेट वर्थ नकारात्मक हो गया और उसे फरवरी, 2005 में पूर्व औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 09.03.2006 को कंपनी के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज को अनुमोदित किया जिसमें, (i) उच्च ब्याज के बांडों, बैंक ऋणों के पुनः भुगतान और वीआरएस को लागू करने के लिए वरीयता शेयर पूंजी (संचयी) के द्वारा 270 करोड़ रुपए के नकद निषेचन और (ii) 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए 100 करोड़ रुपए की भारत सरकार की गारंटी को जारी रखना जिसका उपयोग अधिक ऋण को चुकाने के लिए किया जाना है, शामिल थे। पैकेज के क्रियान्वयन के बाद, वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान कंपनी को लाभ हुआ

और वह बीआईएफआर से बाहर हो गई। तथापि, वैश्विक मंदी के प्रभाव के परिणामस्वरूप, बाजार में मुख्य रूप से मंदी का रुख कायम रहने के कारण, वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 में कंपनी को पुनः हानि हुई। हालांकि वर्ष 2010-2011 के दौरान इसने लाभ अर्जित किया, किंतु इसके बाद स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो गई और इसके मुख्य उत्पादों, फिनाॅल और एसीटोन पर एंटी-डॉपिंग शुल्क को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान कंपनी को फिर हानि हो गई। सरकार ने कंपनी को लिक्विडिटी संबंधी समस्याओं से उबरने में समर्थ बनाने के लिए भारत सरकार को जारी किए गए 270 करोड़ रुपए के वरीयता शेयरों के रीडेम्पशन के स्थगन को दिनांक 1 अगस्त, 2013 को अनुमोदित किया (आवंटन तिथि 24.01.2018) जो वर्ष 2011-12 से वर्ष 2012-16 तक रीडेम्पशन के लिए देय था। 100 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को अगस्त, 2017 तक आगे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, एचओसीएल को अपनी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों की बकाया राशि आदि के संबंध में देय राशि का भुगतान करने हेतु कंपनी द्वारा बांड जारी किए जाने के लिए जुलाई, 2014 में 150 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी दी गई थी। इससे कंपनी अपनी कोच्चि यूनिट और रसायनी यूनिट में उत्पादन कार्यों को पुनः बहाल करने में समर्थ हो सकी। तथापि, उस समय पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वैश्विक गिरावट के कारण फिनाॅल और एसीटोन के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई और कंपनी ने लाभप्रद दरों पर अपने उत्पादों को बेचने और पर्याप्त कार्यचालन पूंजी पैदा करने में कठिनाइयों का सामना किया। इससे कोच्चि और रसायनी, दोनों यूनिटों में कार्य प्रचालन में बार-बार रुकावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का वित्तीय संकट और गहरा गया। लगातार घाटे और कार्यचालन पूंजी की कमी के कारण कंपनी फरवरी, 2015 से 2017 तक अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन एवं सांविधिक देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रही है। एचओसीएल के लिए पुनर्गठन योजना (नीचे पैरा 9.11 का संदर्भ लें) कार्यान्वित करने से रसायनी यूनिट में संयंत्र प्रचालन बंद कर दिए गए हैं। कोच्चि में फिनाॅल/एसीटोन संयंत्र जुलाई, 2017 से फिर शुरू हो गया और उसके बाद से इसे नियमित रूप से चलाया जा रहा है।

बजट आवंटन

5.4 पिछले तीन वर्षों के दौरान एचओसीएल हेतु कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया।

(रुपये करोड़ में)

लेखा	2018-19	2019-20	2020-21
पूंजी/राजस्व	वास्तविक	ब.अ.	ब.अ.
	0.00	0.00	0.00

एचओसीएल का वित्तीय निष्पादन

5.5 गत पांच वर्षों के लिए कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबंध में एचओसीएल का वित्तीय प्रदर्शन और 31.03.2019 को नेटवर्थ निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आर्वत (कुल)	कुल लाभ/(हानि)
2014-15	167.19	(215.49)
2015-16	120.79	(173.91)
2016-17	158.21	(255.57)
2017-18	242.33	(203.45)
2018-19	471.99*	50.11

31.03.2019 को निवल मूल्य (नए आईएनडीएस लेखाकरण पद्धति के अनुसार जिसमें भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है) (+) 105.88 करोड़ रु.

31.03.2018 को कंपनी अधिनियम के अनुसार निवल मूल्य भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर (-) 958.07 करोड़ रु.

* रसायनी यूनिट की परिसंपत्तियों की बिक्री, एक्सेस प्रावधानों के उल्लंघन आदि से प्राप्त 115.71 करोड़ रु. की गैर-प्रचालनात्मक आय समेत एचओसीएल ने 2018-19 के दौरान 587.70 करोड़ रु. का कुल राजस्व अर्जित किया और 70.80 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ अर्जित किया। अंतिम परिणाम के अनुसार, 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) के दौरान, कंपनी ने 145.19 करोड़ रु. का कारोबार किया और 45.06 करोड़ रु. का नुकसान उठाया। फिनांल और एसीटोन (एचओसीएल के मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले उत्पाद) के भारी आयात/भारत में इन दोनों उत्पादों को खपाने के कारण इनके बिक्री मूल्य में महत्वपूर्ण कमी ने 2019-20 की पहली छमाही के दौरान कंपनी के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

एचओसीएल के लिए पुनर्गठन योजना

5.6 रसायनी इकाई को एचओसीएल के पुनर्गठन योजना के तहत सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है, ऊपर दिए गए पुनर्गठन योजना के अन्य पहलू के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि विभिन्न कारणों से रासायनी में एचओसीएल की भारमुक्त भूमि संपत्ति के निपटान में देरी हुई है। अब तक कुल लगभग 684 एकड़ भूमि सरकार द्वारा बीसीपीएल को बिक्री के लिए अनुमोदित की गई है। केवल 375 एकड़ की बिक्री और पंजीकरण पूरा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बीसीपीएल द्वारा खरीदी गई जमीन की बाड़ लगाने के विरोध और बीपीसीएल को एचओसीएल भूमि बिक्री के संबंध में ग्रामीणों की चिंताओं और मांगों के समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित संभागीय आयुक्त, कोंकण के तहत समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कारण शेष लगभग 309 एकड़ भूमि की बिक्री कानून और व्यवस्था की स्थिति से प्रभावित हुई है। एचओसीएल की भूमि के निपटान में

देरी के मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए विभाग इस विषय को राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से उठा रहा है।

5.7 फिर्नाल पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के बारे में, समिति ने पूछा कि क्या विभाग ने डीजीटीआर के साथ यह मामला उठाया है। उत्तर में, विभाग ने बताया कि रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 के अपने का.ज्ञा.सं. सी. 11-13, 012/04/2019-रसायन-11 के माध्यम से डीजीटीआर, वाणिज्य विभाग से फिर्नाल के आयात पर शीघ्र सुरक्षा शुल्क लगाने अथवा कोई अन्य उपचारात्मक उपाय के लिए अनुरोध किया है।

5.8 समिति ने उल्लेख किया कि वर्ष 2019-20 के दौरान एचओसीएल की कोच्वि इकाई के क्षमता उपयोग में गिरावट आई। समिति ने इसके कारण पूछे और इस बारे में किये गये सुधारात्मक उपायों के बारे में पूछा। इस संबंध में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

5.9 कोच्वि इकाई की क्षमता का उपयोग मुख्य रूप से निम्न कारणों से कम हुआ है:—

- i. 2019-20 (सितम्बर 2019 तक) की पहली छमाही में अलाभकारी कीमतों पर बड़े पैमाने पर फिर्नाल का आयात जिसने मुख्य उत्पाद अर्थात् फिर्नाल के उत्पादन/ब्रिकी को प्रभावित किया।
- ii. फिर्नाल के ज्यादा स्टॉक के कारण, जून 2019 के महीने में फिर्नाल संयंत्र को बंद करना पड़ा। अक्टूबर/नवंबर 2019 के दौरान क्युमीन खंड में उत्प्रेरक को बदलने, जिसे दो साल में एक बार किया जाता है, के लिए लगभग 45 दिनों के लिए संयंत्र को फिर से बंद कर दिया गया। बंद के दौरान संयंत्र के सामान्य रख-रखाव के सभी कार्य भी किए गए।
- iii. हाइड्रोजन पैराक्साइड संयंत्र की क्षमता उपयोग मुख्य रूप से बीपीसीएल से हाइड्रोजन के न मिलने के कारण और रखरखाव हेतु संयंत्र बंद होने के कारण कम हुआ है।

5.10 कोच्वि इकाई की क्षमता उपयोग में सुधार के लिए एचओसीएल द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक कदम इस प्रकार हैं:—

- i. कंपनी ने वाणिज्य मंत्रालय के प्राधिकृत प्राधिकारी (व्यापार उपचार महानिदेशालय), वाणिज्य मंत्रालय के पास फिर्नाल आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाने के लिए आवेदन दायर किया है। व्यापार उपचार महानिदेशालय का निर्णय प्रतीक्षित है।
- ii. संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड से फिर्नाल आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए आवेदन, जहां एंटी-डंपिंग शुल्क की अवधि

समाप्त हो गई है, को भी एचओसीएल द्वारा व्यापार उपचार महानिदेशालय के पास दायर किया गया है।

- iii. हाइड्रोजन पैराक्साइड संयंत्र की बिक्री और क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए हाइड्रोजन पैराक्साइड के लिए कपड़ा और कागज उद्योगों के नए ग्राहकों को सूचीबद्ध किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)

5.11 हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) की एक सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 14.07.1983 को निगमित किया गया था। यह रुद्रराम, जिला संगारेड्डी, तेलंगाना में स्थित है। कंपनी ने वर्ष 1987 में उत्पादन शुरू किया और यह पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन (पीटीएफई) और क्लोरो डि फ्लोरो मीथेन (सीएफएम-22) के उत्पादन का कार्य कर रही है। पीटीएफई का उपयोग बड़े पैमाने पर रासायनिक यांत्रिक विद्युत, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है और रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्रों में इसका सामरिक उपयोग किया जाता है। सीएफएम-22 का उपयोग प्रशीतन गैस के रूप में और पीटीएफई के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है।

एचएफएल की अधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 21 करोड़ रुपये और 19.61 करोड़ रुपये है। एचओसीएल (प्रमोटर कंपनी) के पास कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 56.40% हिस्सा है और शेष हिस्सा जनता (39.11%) और आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (4.43%) के पास है। एचएफएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।

वर्ष 1987-88 में कार्य प्रारंभ करने के समय से ही एचएफएल को हानि होने लगी, जिसके परिणामस्वरूप, इसके निवल मूल्य (नेट वर्थ) में गिरावट आ गई और वर्ष 1994 में इसे बीआईएफआर को रेफर किया गया। बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.12.2007 को एचएफएल के लिए प्रचालन एजेंसी, में, आईडीबीआई के अधीन एक पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी गई। इस पुनरुद्धार पैकेज की कुल लागत 19.28 करोड़ रुपये थी और इसमें किसी भी सरकारी निधि का निवेश शामिल नहीं था। पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के पश्चात् एचएफएल ने वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक आंशिक लाभ हासिल किया। तथापि, कंपनी बीआईएफआर से बाहर नहीं आई क्योंकि इसका निवल मूल्य नकारात्मक रहा। कंपनी को मुख्य रूप से वर्ष 1997 और 2007 के वेतन संशोधन संबंधी बकाया राशि के प्रावधानीकरण और उत्पादों कमी बिक्री में की आने के कारण, वर्ष 2013-14 में पुनः 24.82 करोड़ रुपये की हानि हुई। उसके बाद कंपनी मुख्य रूप से उत्पादों की बिक्री में कमी के कारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान घाटे में रहने का सिलसिला जारी है। कंपनी का निवल मूल्य भी (नेट वर्थ) नकारात्मक है।

एचएफएल का वित्तीय प्रदर्शन

5.12 गत पांच वर्षों के लिए कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबंध में एचएफएल का वित्तीय प्रदर्शन दिनांक 31.03.2019 को नेटवर्थ निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आवर्त	कुल लाभ/(हानि)
2014-15	32.75	(3.77)
2015-16	39.63	(11.11)
2016-17	38.06	(6.33)*
2017-18	43.08	(4.82)*
2018-19	45.86	(4.78)*

31.3.2019 को निवल मूल्य (नेट वर्थ) (आईएनडी एएस के अनुसार जिसमें भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है) (-)43.20 करोड़ रुपए

*नए अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 'आईएनडी एएस' के अनुसार

5.13 एचएफएल के मौजूदा गैर-लाभप्रद प्रचालनों को देखते हुए विभाग ने इसे बंद करने का प्रस्ताव चलाया और सरकार/सीसीईए ने 22.01.2020 को एचएफएल के संयंत्र/यूनिट को बंद करने और कंपनी बंद करने का अनुमोदन कर दिया है।

एचएफएल को बंद करने की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कर्मचारियों (स्केलेटल स्टाफ को छोड़कर) को वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से अलग किया जाएगा, वीआरएस का चयन न करने वाले कर्मचारियों की औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार छंटनी की जाएगी।
- वीआरएस/वीएसएस व्यय सहित कंपनी बंद होने से संबंधित तत्काल देनदारियों और स्केलेटल स्टाफ के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए एचएफएल को ब्याज मुक्त 77.20 करोड़ रु. का भारत सरकार का ऋण दिया जाएगा।
- भूमि खरीदने के लिए तेलंगाना सरकार के निर्णय के अध्वधीन भूमि बिक्री में सहायता हेतु एनबीसीसी की भूमि प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्ति।
- ई-नीलामी के माध्यम से संयंत्र/मशीनरी और चल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एमएसटीसी की नियुक्ति।

- 77.20 करोड़ रु. का ऋण और एचएफएल पर भारत सरकार की अन्य देनदादियों को भूमि और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से चुकाया जाएगा; अपर्याप्त बिक्री आय के कारण चुकाए ना जाने वाले ऋणों/देयों को बट्टे खाते में डाला जाएगा/माफ किया जाएगा।
- कंपनी बंद करने संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की अस्थायी समय-सीमा 400 दिन है।

एचएफएल को बंद करने संबंधी सीसीईए के उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

5.14 बंद करने संबंधी तत्काल देयताओं के निपटान हेतु एचएफएल को 77.20 करोड़ रु. के ऋण की राशि जारी करने के बारे में समिति ने पूछा कि क्या वित्त मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया जा रहा है? विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत् बताया:—

एचएफएल को बंद करने के लिए 22.01.2020 को सीसीईए की मंजूरी के बाद, सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने 24.01.2020 को सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, 2019-20 के लिए इस विभाग के बजट में एचएफएल को 77.20 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता ऋण प्रदान करने के लिए लिखा है ताकि कर्मचारियों को अलग-अलग करने के कार्य को मार्च-अप्रैल, 2020 तक पूरा किया जा सके। इसके अलावा, मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने भी दिनांक 12.02.2020 के अ.शा. पत्र के द्वारा माननीय वित्त मंत्री से अनुपूरक अनुदान 2019-20 के दूसरे और अंतिम बैच में एचएफएल के लिए ऋण के प्रावधान को शामिल करने का अनुरोध किया है। एचएफएल को ऋण का अनुपूरक प्रस्ताव अलग से इस विभाग द्वारा 17.01.2020 को आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया था।

एचआईएल (इंडिया) लि.

5.15 एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, जिसे पूर्व में हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) के नाम से जाना जाता है, को भारत सरकार के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए डीडीटी (डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन) के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए 1954 में नई दिल्ली में विनिर्गमित किया गया था। कंपनी ने 1957 में डीडीटी के विनिर्माण के लिए उद्योग मंडल, केरल में एक फैक्ट्री स्थापित की। एचआईएल ने डीडीटी और मेलाथियान, जो एक कीटनाशक होता है, के विनिर्माण के लिए 1977 में रसायनी, महाराष्ट्र में एक और फैक्ट्री स्थापित की। पूर्ववर्ती दिल्ली फैक्ट्री को शिफ्ट करके उत्पाद फॉर्मूलेशन के लिए 2003 में कंपनी की तृतीय यूनिट भटिंडा, पंजाब में स्थापित की गई। रसायनी और उद्योग मंडल संयंत्रों में डीडीटी विनिर्माण और कृषि रसायन विनिर्माण दोनों ही सुविधाएं हैं जबकि भटिंडा में केवल फॉर्मूलेशन के विनिर्माण और पैकेजिंग की सुविधा है। कंपनी ने बीजों और उर्वरक के क्षेत्र में भी अपने व्यवसाय का विविधिकरण किया है।

कंपनी के भारत भर में 7 क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय हैं, और इसके उत्पादों के विपणन और वितरण का एक व्यापक नेटवर्क है। एचआईएल की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 91.33 करोड़ रुपए है। इसके शत-प्रतिशत शेयर भारत सरकार के पास है।

कंपनी ने 1970 के उत्तरार्ध में कृषि रसायनों का विविधीकरण किया था ताकि कृषि क्षेत्र के लिए उचित मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आज इसके पास कृषि समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी और फॉर्मूलेशन ग्रेड के कीटनाशकों की रेंज उपलब्ध है।

बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

लेखा	2018-19	2019-20	2020-21
पूंजी/राजस्व	बीई	बीई	बीई
	0.00	00.00	00.00

5.16 पिछले तीन वर्षों में एचआईएल (इंडिया) लि. को कोई बजट आवंटन नहीं किया गया। जब यह पूछा गया कि हाल के दिनों में एचआईएल द्वारा और पूंजी डालने की कोई मांग की गई है तथा निधियां आवंटित न करने के क्या कारण हैं, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् जानकारी दी:-

"सरकार द्वारा 2014-15 में एचआईएल को 15.00 करोड़ का योजना ऋण प्रदान किया गया था और उद्योगमंडल यूनिट में पेंडीमेथलीन प्लांट की स्थापना (11.00 करोड़ रुपये) के लिए तथा संयंत्र/मशीनरी नवीनीकरण योजनाओं (4.00 करोड़) पर कंपनी द्वारा इसका उपयोग कर लिया गया है। पेंडीमेथलीन संयंत्र ने मई, 2018 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

2015-16 के लिए, एचआईएल द्वारा प्रस्तावित रसायनी यूनिट में बहु-उत्पाद सुविधा स्थापित करने के लिए 10 करोड़ की योजना ऋण प्रावधान को जारी नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त वर्ष 2015-16 के अंत तक वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बाद, वित्त मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, एचआईएल द्वारा बहु-उत्पाद सुविधा परियोजना की लाभप्रदता की फिर से जांच की गई और कंपनी ने कच्चे माल की कीमत (मुख्य रूप से चीन से आयातित) के प्रति इसकी संवेदनशीलता के कारण इस परियोजना को छोड़ने का फैसला किया।

चूंकि एचआईएल द्वारा कोई अन्य परियोजना/योजना प्रस्तावित नहीं की गई थी, और वित्त मंत्रालय के दिनांक 3.2.2016 के का.ज्ञा. के मद्देनजर, जिसमें निर्देश है कि भारत सरकार से सीपीएसयू के लिए निवेश और कार्यशील पूंजी ऋण की खिड़की सामान्य रूप से बंद है, पिछले दो वर्षों और चालू

वर्ष 2019-20 के दौरान एचआईएल के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी।"

वित्तीय प्रदर्शन

5.17 वर्ष 2006-07 में मंजूर पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद एचआईएल निरंतर लाभ अर्जित कर रही है। गत 5 वर्षों में कंपनी के कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन और 31.03.2019 को नेटवर्थ निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आर्वत	कुल लाभ/हानि
2014-15	339.90	1.60
2015-16	334.75	1.83
2016-17	372.94	3.26
2017-18	432.66	3.41
2018-19	478.24	3.62
31.3.2019 को नेटवर्थ 103.85 करोड़ रुपए		

चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, अंतिम गैर-लेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार, कंपनी ने कुल 182.11 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 1.04 करोड़ रुपए का निवल लाभ प्राप्त किया।

निर्यात

5.18 एचआईएल ने 2017-18 के 32 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 10.12 करोड़ रुपए का निर्यात किया। कंपनी ने वर्ष के दौरान अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को डीडीटी, मेलाथियान टेक्निकल एंड एग्रो केमिकल्स का निर्यात किया। एचआईएल आगामी वर्षों में निर्यात पर और बल देने की योजना बना रहा है।

5.19 22.1.2020 को कोच्चि में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थाई समिति के अध्ययन दौरे के दौरान समिति को बताया गया कि एचआईएल ने अपनी स्थिरता के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक कंपनी के कारोबार में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करने का है। इस योजना में निम्नवत् शामिल हैं:

- (एक) निर्यात सहित उत्पादों की विक्रयता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता और क्षमता में सुधार हेतु सभी वर्तमान प्रसंस्करण संयंत्रों को आधुनिक बनाना।
- (दो) आयात बिल कम करने के लिए आयात की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री इंटरमीडिएट के उत्पादन हेतु वर्तमान संयंत्रों का बैकवर्ड एकीकरण।

- (तीन) डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भूमि आवंटित करने की स्थिति में ओडिशा के गंजाम जिले में पर्यावरण अनुकूल रासायनिक कीटनाशकों और जैव कीटनाशकों तथा फॉर्मूलेशन संयंत्रों की विनिर्माण सुविधा।
- (चार) एलएलआईएन संयंत्र की क्षमता 5 मिलियन से बढ़ाकर 20 मिलियन करना जिससे एनएलआईएन का कारोबार 400 करोड़ रुपए हो जाएगा।
- (पांच) यूएनआईडीओ की वित्तीय सहायता से जैव लार्विसाइड (बीटीआई) और नीम आधारित उत्पादों की स्थापना।
- (छह) उद्योग मंडल यूनिट में ढाई सौ मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले जैव कीटनाशकों के नए विनिर्माण संयंत्र की स्थापना। संयंत्र के सितंबर 2020 तक चालू हो जाने का कार्यक्रम है।
- (सात) भारत में बीज क्षेत्र में अधिक हिस्सेदारी के लिए बीज घटक में संकर तिलहन का उत्पादन एवं निर्यात।
- (आठ) लघु पोषक तत्वों और सूक्ष्म उर्वरकों के उत्पादन में प्रवेश।

समिति को बताया गया कि उपरोक्त योजना उस स्थिति में लागू होगी जब एचआईएल 200 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी और 200 करोड़ रुपये के कैपेक्स की व्यवस्था कर पाएगा।

5.20 जब यह पूछा गया कि क्या कीटनाशकों के क्षेत्र में नवाचार और विकास हेतु एचआईएल की अपनी आर एंड डी सुविधाएं हैं तथा क्या इस संबंध में विभाग द्वारा एचआईएल को कोई सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् जानकारी दी:-

"एचआईएल की उद्योगमंडल यूनिट, केरल में अपनी आरएंडडी की सुविधा है, जो उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार/रखरखाव में सहायता प्रदान करके यूनिट के व्यावसायिक संयंत्रों को तकनीकी सहायता दे रहा है, नए चालू संयंत्रों की तकनीक में सुधार कर रहा है, संयंत्रों की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ा रहा है, कच्चे माल की दक्षता में सुधार/प्रक्रिया की अवधि में कमी ला रहा है, नए सूत्रीकरणों का विकास आदि कर रहा है। महाराष्ट्र में कंपनी की रसायनी इकाई में एक अनुसंधान एवं विकास सुविधा निर्माणाधीन है, जो यूनिट में तैयार हो रहे एलएलआईएन प्लांट के व्यवसायीकरण और प्रौद्योगिकी को पूर्ण करने में सहायक होगी। यह सुविधा अन्य प्रसंस्करण संयंत्रों की गतिविधियों में भी सहायता करेगी। उपरोक्त के अलावा, विभाग के तहत आईपीएफटी और सिपेट जैसे स्वायत्त निकाय कीटनाशक सूत्रीकरणों, पॉलिमरिक सामग्री आदि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों में लगे

हुए हैं। ऐसी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के परिणाम, जहाँ भी प्रयोग किए जा सकते हैं, उन्हें एचआईएल के साथ भी साझा किया जाता है। उदाहरण के लिए, सिपेट ने एलएलआईएन प्रौद्योगिकी के विकास में एचआईएल का सहयोग किया है और आईपीएफटी नीम आधारित वनस्पति कीटनाशकों के व्यावसायीकरण में एचआईएल का सहयोग कर रहा है।"

5.21 जब 2019-20 के दौरान रसायनी और कोच्चि दोनों में कृषि रसायन इकाइयों के बहुत कम क्षमता उपयोग के कारणों तथा स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा, तो विभाग ने निम्नलिखित लिखित उत्तर दिया:—

"रसायनी और कोच्चि में कृषि-रसायनिक इकाइयों की कम क्षमता के उपयोग का कारण एचआईएल के सामने आ रही नकदी की कमी के कारण कच्चे माल की खरीद में बाधा है। अपर्याप्त कार्यशील पूंजी ने कच्चे माल की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन/क्षमता का उपयोग कम हो गया। इसके अलावा, कम क्षमता उपयोग और पुराने संयंत्रों को अपग्रेड करने में असमर्थता के कारण, उत्पादन की लागत अधिक है, जो कंपनी की बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, एचआईएल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

- कंपनी ने ग्राहकों के साथ क्रेडिट शर्तों के अनुसार विक्रेताओं के लिए क्रेडिट अवधि को 4 महीने तक बढ़ा दिया है।
- भारतीय व्यापारियों की बजाय बेहतर भुगतान शर्तों के साथ चीन के विनिर्माताओं से सीधे प्रमुख कच्चे माल का आयात करना।
- कंपनी बैंकों के साथ सीसी सीमा को बढ़ाने की प्रक्रिया में है।
- देनदारों से संग्रह/प्राप्तियों की निगरानी।
- तकनीकी उन्नयन और संयंत्रों में सुधार के माध्यम से प्रक्रिया की अड़चने दूर करना।
- सड़क चौड़ीकरण के लिए गुरुग्राम में कंपनी को जमीन के लिए एनएचएआई और एचएसवीपी (पूर्व में एचयूडीए) द्वारा मुआवजे का भुगतान।
- एचआईएल की अधिशेष भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण।

5.22 एचआईएल देश में डीडीटी का एकमात्र निर्माता है और यह विशेष रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) को डीडीटी की आपूर्ति करता है। इस संबंध में, मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया गया था कि एचआईएल मुख्य रूप से एनवीबीडीसीपी द्वारा डीडीटी से संबंधित भुगतान में देरी के कारण कार्यशील पूंजी की कमी से ग्रस्त है।

5.23 इसके अतिरिक्त जब एचआईएल द्वारा नीम और बीटीआई आधारित जैव कीटनाशकों और कीटनाशकों के साथ लेपित उर्वरक सूत्रीकरणों के क्षेत्र में उद्यम करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों के बारे में पूछा गया तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया:—

"एचआईएल यूएनआईडीओ की वित्तीय सहायता के साथ बीटीआई आधारित जैव लार्विसाइड और नीम आधारित वनस्पतिक कीटनाशकों के क्षेत्र में काम कर रहा है। एचआईएल बोर्ड ने आईपीएफटी से प्राप्त प्रौद्योगिकी के साथ बटिंडा इकाई में नीम आधारित वनस्पति कीटनाशक संयंत्र की स्थापना को 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी दे दी है। एचआईएल ने इस संबंध में आईपीएफटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी पायलट स्केल टेक्नोलॉजी को कमर्शियल स्केल पर ले जाने और प्लांट स्थापित करने के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में है।

ख. स्वायत्त संस्थान

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)

5.24 सिपेट रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आईएसओ 9001:2015 क्यूएमएस, एनबीएलए आईएसओ/आईईसी 17020 से मान्यता प्राप्त एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जो देश में पॉलिमर और इससे जुड़े उद्योगों के विकास के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता और शिक्षण एवं अनुसंधान (एसटीएआर) संबंधी क्रियाकलापों के साथ पूर्ण रूप से समर्पित है। सिपेट देश भर में फैले 37 केन्द्रों में कार्यरत है। जिनमें 7 इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर (आईपीटी), 23 कौशल एवं प्रौद्योगिकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस) और 3 उन्नत पॉलिमर अनुसंधान विद्यालय (एसएआरपी), 3 उप केन्द्र और 01 पादप अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र शामिल हैं। उपर्युक्त के अलावा, 4 प्लास्टिक, अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों सहित सिपेट देश के विभिन्न भागों में 9 केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। प्लास्टिक एवं संबद्ध उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिपेट केंद्रों के पास डिजाइन, सीएडी/सीएएम/सीई, टूलिंग एंड मोल्ड मैनुफैक्चरिंग, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के क्षेत्र में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं।

सिपेट 13 विभिन्न दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी कार्यक्रम संचालित करता है, जिनमें प्रवेश अर्हता के विभिन्न स्तरों पर होता है। भारत सरकार के "कुशल भारत अभियान" की तर्ज पर सिपेट प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के सम्पूर्ण परिवेश में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के मानदंडों और दिशानिर्देशों की तर्ज पर वर्तमान में सिपेट प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 37 स्वीकृत कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त सिपेट प्लास्टिक अभियांत्रिकी

और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं, परामर्श और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है। सिपेट अनुसंधान और विकास गतिविधियों में भी संलग्न है।

वित्तीय प्रदर्शन (अलेखापरीक्षित):

5.25 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सिपेट ने 320.00 करोड़ रुपए के बजटीय राजस्व व्यय के साथ 355.00 करोड़ रुपए की आय पैदा करने की योजना बनाई है। सिपेट ने सिविल एवं तकनीकी अवसंरचना सुविधाएं सुदृढ़ की हैं, जिससे प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों, जैसे कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हुई है और सिपेट 2008-09 से सेल्फ सस्टेनेबल मोड पर प्रचालन कर रहा है।

बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

खाता	2018-19	2019-20		2020-21
	वास्तविक	ब.अ.	स.अ.	ब.अ.
पूंजी/राजस्व	72.00	80.00	81.00	98.25

5.26 जब उन सिपेट योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा पूछा गया जिनके लिए 2020-21 के दौरान 98.25 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

क्र. सं.	योजना का नाम	बीई 2020-21 (करोड रुपये में)
1	2	3
1.	उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास	
2.	मौजूदा और नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवासीय छात्रावास का निर्माण	25.20
3.	ग्वालियर (मध्य प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), बद्दी (हिमाचल प्रदेश) और रायपुर (छत्तीसगढ़) में केंद्र की स्थापना	-
4.	उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी बुनियादी सुविधाओं और क्षमताओं को समृद्ध करना	3.29
5.	जयपुर (राजस्थान) में एचएलसी की स्थापना	12.16

1	2	3
6.	रांची (झारखंड) में ओएलसी की स्थापना	2.76
7.	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में ओएलसी की स्थापना	2.64
8.	अगरतला (त्रिपुरा) में वीटीसी की स्थापना	
9.	देहरादून (उत्तराखंड) में ओएलसी की स्थापना	3.46
10.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में वीटीसी की स्थापना	14.05
11.	मेडक (तेलंगाना) में वीटीसी की स्थापना	
12.	जम्मू/कश्मीर में वीटीसी की स्थापना	10.00
13.	मोतिहारी/भागलपुर (बिहार) में वीटीसी की स्थापना	10.00
14.	मुंबई (महाराष्ट्र) में वीटीसी की स्थापना	10.00
15.	उन्नत पॉलिमर डिजाइन और विकास अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना (एपीडीडीआरएल, बेंगलुरु)	4.69
	कुल	98.25

5.27 जब वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि में कटौती के बारे में पूछा गया तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि 110.00 करोड़ रुपये के अनुरोध के स्थान पर, आरई 2019-20 में सिपेट को केवल 81.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। पर्याप्त बजट न होने के कारण, कुछ सिपेट केंद्रों में छात्रावासों का निर्माण स्थगित कर दिया गया है। बजट की कमी के कारण कुछ मशीनरी की खरीद योजना भी स्थगित कर दी गई थी।

5.28 जब युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप निपुण बनाए जा सकने के लिए और अधिक सिपेट संस्थान खोलने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

विभाग सक्रिय रूप से और अधिक से अधिक सिपेट केंद्र खोलने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है ताकि युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप निपुण बनाया जा सके और उन्हें लाभकारी औद्योगिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। जहां राज्य सरकारों की ओर से देर से प्रतिक्रिया के कारण प्रगति नहीं हो सकी, वहां अनुमोदित सिपेट केंद्रों में तेजी लाने के मामले माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) के स्तर सहित उच्चतम स्तर पर उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा पटना, बिहार और अंडमान और निकोबार

द्वीपसमूह में सिपेट उप-केंद्रों की स्थापना के विभिन्न प्रस्तावों को भी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ उठाया जा रहा है।

5.29 21.10.2019 को नई दिल्ली में सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) की अध्यक्षता में सिपेट के कार्यक्रमों पर स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 24 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ चार सिपेट केंद्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है, जब इन पीडब्ल्यूएमसी के लिए स्थान और आवश्यक धनराशि के बारे में पूछा गया तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

निम्नलिखित स्थानों पर चार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित किए जाने हैं :—

1. अहमदाबाद
2. बेंगलुरु
3. पटना
4. वाराणसी

सिपेट के प्रस्ताव को एसएफसी द्वारा 21.10.2019 को मंजूरी दी गई थी। आईएफडी के माध्यम से वित्त मंत्रालय से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी, लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। इसलिए, पर्याप्त बजट न होने के कारण, सिपेट को चार सिपेट केंद्रों पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी। इसके अलावा, प्लास्टिक प्रबंधन केंद्र (पीडब्ल्यूएमसी) के लिए भूमि की पहचान की जा रही है।

5.30 अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान समिति ने 23-01-2020 को सीआईपीईटी चेन्नई की स्पॉट विजिट भी की। समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और सीआईपीईटी के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की। समिति को बताया गया:—

"देश के अन्य हिस्सों में और अधिक सीआईपीईटी संस्थान खोलने की आवश्यकता है, ताकि युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप कुशल बनाया जा सके और लाभकारी औद्योगिक रोजगार सृजन में मदद मिल सके।

महानिदेशक, सीआईपीईटी ने समिति को सीआईपीईटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को पूर्णतः सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बदलने की आवश्यकता

के बारे में बताया जो कि अधिक उपयुक्त और वहां दिए जा रहे पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक प्रतिबद्ध होगी।"

5.31 अनुदानों की मांग 2020-21 पर रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के मौखिक साक्ष्यों के दौरान समिति ने सीआईपीईटी द्वारा दी जा रही अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी सहायक सेवाओं के बारे में पूछा। सीआईपीईटी के महानिदेशक ने अपने उत्तर में निम्नवत् बताया:—

"माननीय सभापति जी, दो प्रश्न हैं। पहला अनुसंधान और विकास के बारे में है और दूसरा प्रौद्योगिकी सहायता सेवा के बारे में है। जैसा कि माननीय सचिव ने आपको बताया, पिछले पाँच वर्षों में हमने उद्योगों को 3,60,000 प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएँ दी हैं।" अगले पाँच वर्षों में हम उद्योगों को पाँच लाख प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएँ देने जा रहे हैं। अतः हमारे पास प्रत्येक सीआईपीईटी केंद्र में एक बहुत ही मजबूत प्रौद्योगिकी समर्थन विंग है जो दैनिक आधार पर उद्योगों की ऑन द स्पॉट समस्या, मशीन, कच्चा माल आदि जैसी समस्याओं का समाधान करता है। हम इन समस्याओं को सुलझाते हैं। इसके अलावा, माननीय सभापति ने पूछा कि हम उद्योग को क्या समर्थन दे रहे हैं। जब एक युवा लड़का उद्योग शुरू करना चाहता है तो वह निश्चय नहीं कर पाता कि यदि वह किसी संयंत्र पर राशि निवेश करता है तो वह उद्योग चल पाएगा। पहले छह महीनों के लिए वह हमारे बुनियादी ढांचे, संयंत्र और मशीनरी का उपयोग न्यूनतम कार्यशील पूंजी के साथ करता है। एक बार जब वह उत्पाद बनाकर बाजार में जाता है तो हम बाजार में उसका समर्थन करते हैं। जब छह महीने के लिए उसका उत्पाद बेचा जाता है तो उसमें आत्मविश्वास आता है, तब हम टीएफआर तैयार करने में उसकी मदद करते हैं, बैंक में उसकी मदद करते हैं और वह इकाई शुरू करता है। इसी तरह उद्योग चलता है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास तीन आरएंडडी विंग हैं। हम कृषि में प्लास्टिक, टेलर मेड कोटिंग, पर्यावरण के अनुकूल कोटिंग्स, स्वच्छ जल, वैकल्पिक बिजली, स्वास्थ्य देखभाल, अपशिष्ट प्रबंधन, और उत्पाद विकास, विशेष रूप से ईंधन कोशिकाओं में नई सामग्री, प्रवाहकीय पॉलिमर, जैव सेंसर और इन सभी नवीनतम उत्पादों पर काम कर रहे हैं। जब हम एक बौद्धिक संपदा विकसित करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला यह है कि हमारा शोध अधिकतर उद्योगों के साथ होता है। उद्योगों की एक समस्या होती है, हम उसका समर्थन करते हैं और उद्योग तकनीक का सहारा लेता है। हालाँकि हमारे पास 50 से अधिक पेटेंट हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संख्या में पेटेंट नहीं है जिसका कारण यह है कि पूरी तकनीक बॉइंग, हुंडई आदि उद्योगों में चली गई

है। इसके अलावा, हमारे पास एक उत्कृष्टता केंद्र है जिसको विभाग द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसमें उद्योग हमसे प्रौद्योगिकी लेता है और जो भी आयात विकल्प हैं, उन्हें स्थापित करता है। हम चेन्नई में अपनी तरह का एक इनोवेक्स (आईएनएनओवीईएक्स) स्थापित करने जा रहे हैं जहां उद्योग बुनियादी ढांचे का भी उपयोग करेगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम पिछले दस वर्षों से आत्मनिर्भर स्तर पर चल रहे हैं फिर चाहे वह प्रौद्योगिकी हो, शिक्षाविद हो या अनुसंधान हो। यह केवल विभाग के निरंतर समर्थन के कारण ही संभव हो पाया है। जहां तक हमारे आधार स्तंभ शिक्षाविदों का संबंध है हम वन-स्टॉप शॉप हैं। आपके पास आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि हैं। हमारा एक संगठन है जिसे आईपीटी-सीएसटी उप-केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे पास छह महीने का कार्यक्रम, तीन महीने का कार्यक्रम, एक वर्ष का कार्यक्रम, डेढ़ वर्ष का कार्यक्रम, चार वर्ष के कार्यक्रम और पांच समेकित कार्यक्रम है। एक उद्योग में असिस्टेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर, शिफ्ट सुपरवाइजर, प्रोडक्शन मैनेजर और एक प्रभारी की आवश्यकता होती है। हमारे पूर्व छात्र बहुत ही ख्याति प्राप्त हैं। हमारे सभी लोगों के नाम जिन कंपनियों में वे काम कर रहे हैं उसके नाम, उनके आधार कार्ड आधार आदि के साथ स्किलिंग पोर्टल में रखे गए हैं। अन्यथा, एनएसक्यूएफ दिशानिर्देशों के अनुसार स्किलिंग नहीं हो सकती है। जहां तक विदेशी नियुक्तियों की बात है, छात्र पाठ्यक्रम के आधार पर विदेशों में जाते हैं, विशेष रूप से दक्षता प्राप्त छात्र खाड़ी देशों जैसे कतर, ओमान और दुबई में जाते हैं, डिप्लोमा प्राप्त लोग केन्या, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और सार्क देशों में जाते हैं एम.टेक. और पीएचडी किए हुए अधिकतर लोग यूरोप, अमेरिका और कनाडा में जाते हैं। इस तरह से लोग बंट जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि अधिकतम लोग यहीं जाते हैं, लेकिन आप ऐसा ही पाएंगे। यदि आप विदेशी कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी पेट्रोकेमिकल उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, या किसी भी बड़े उद्योग में जाते हैं तो वहां आपको तकनीकी पहलुओं में या फिर उत्पादन में शामिल एक सिपेट संबंधी व्यक्ति मिलेगा। इसका विवरण है और हम यह दिखा सकते हैं।"

5.32 जब समिति के अध्यक्ष ने सिपेट में महिला छात्रों के प्रतिशत के बारे में पूछा, तो महानिदेशक, सिपेट ने निम्नवत् बताया:—

"प्रवेश सरकारी कोटे के अनुसार, महिला कोटे के अनुसार और वहाँ के नियमों के अनुसार किया जाता है। आप यह देखकर खुश होंगे कि महिला उम्मीदवार विशेष रूप से कोरबा जैसे नक्सली क्षेत्रों से हैं।

आप 16 वर्षीय और 17 वर्षीय लड़कियों को देख सकते हैं, जिन्हें उनके स्थान से लाया गया है क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, वे बेंगलुरु में काम करके कमा रही हैं और अपने गृहनगर को 5,000 रुपये भेज रही हैं ताकि उनके परिवारों का ध्यान रखा जाए। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं।"

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)

5.33 गुरुग्राम, हरियाणा में अवस्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन: अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। आईपीएफटी अपने प्रकार का एकमात्र संस्थान है जो अत्याधुनिक प्रयोक्ता और पर्यावरण अनुकूल न्यू जेनरेशन कीटनाशक फॉर्मूलेशन प्रौद्योगिकी के विकास के प्रति समर्पित है। संस्थान ने भारतीय कृषि रसायन उद्योगों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया है और यह सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल फॉर्मूलेशन्स के लिए प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने में सफल रहा है। आईपीएफटी बायोएफिकेसी, फाइटोटॉक्सिसिटी व कृषि और घरेलू फॉर्मूलेशन दोनों के कीटनाशक अवशेष विश्लेषण के लिए सीआईबी/आरसी दिशा-निर्देशों के अनुसार आंकड़े तैयार करने में भी उद्योगों की सहायता कर रहा है। आईपीएफटी घरेलू और बाह्य वित्तपोषित आरएंडडी परियोजनाओं को निष्पादित करता है।

5.34 संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

- अत्याधुनिक प्रयोक्ता और पर्यावरण अनुकूल न्यू जेनरेशन कीटनाशक फॉर्मूलेशन प्रौद्योगिकी का विकास और उत्पादन।
- नए फॉर्मूलेशन्स की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल कुशल अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियों का संवर्धन।
- सुरक्षित विनिर्माण पद्धतियों, गुणवत्ता आश्वासन, कच्ची सामग्री मानकीकरण एवं स्रोत से संबंधित जानकारी का प्रसार।
- विश्लेषणात्मक तथा परामर्शी सेवाएं।
- कृषि रसायन के क्षेत्र में काम करने वाले कीटनाशी वैज्ञानिकों की योग्यता एवं उपयोगिता में सुधार करना।
- कीटनाशक कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा जारी रखना।

बजट आवंटन

(रुपये करोड़ में)

लेखा	2018-19	2019-20		2020-21
	वास्तविक	ब.अ.	स.अ.	ब.अ.
पूँजी/राजस्व	7.50	8.00	8.00	11.00

5.35 जब बढ़ी हुई धनराशि के प्रस्तावित उपयोग के बारे में पूछा गया तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

सहायता अनुदान (वेतन) : वर्ष 2019-20 के दौरान, 350.00 लाख रु. का कुल सहायता अनुदान (वेतन) स्वीकृत किया गया था और वर्ष 2020-21 के लिए इतने ही सहायता अनुदान का भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, तो उसे संशोधित भर्ती नियमों और उनके संबंध में की गई नियुक्ति के एवज में हुई अपनी आय से संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

सहायता अनुदान (सामान्य) : वर्ष 2019-20 के दौरान, 150.00 लाख रु. का कुल सहायता अनुदान (सामान्य) मंजूर किया गया हालांकि, इस शीर्ष के तहत खर्च 250.00 लाख रुपये से अधिक है।

सहायता अनुदान (सीसीए) : वर्तमान में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए आईपीएफटी में कई परियोजनाएं चल रही हैं और प्रतिवर्ष औसतन 12000 से अधिक नमूनों का विश्लेषण एनालिटिकल लैब में किया जा रहा है और आने वाले वर्षों में, नमूनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने की संभावना है इसलिए आईपीएफटी में वर्तमान उपकरण यानी केवल एक जीसी-एमएस-एमएस और एक एलसीएमएस-एमएस (ट्रिपल क्वाड) जो 12 साल से अधिक पुराना है, वर्तमान आवश्यकता और विश्लेषण की भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। मौजूदा उपकरणों पर अवशेष विश्लेषण कार्य का भार इतना अधिक है कि निर्धारित समय अवधि के भीतर विश्लेषण कार्य और रिपोर्ट समय पर जारी नहीं हो सकते। इसलिए विश्लेषण के समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रयोगशाला के विश्लेषण के दायरे को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य उपकरणों की आवश्यकता है, जो निश्चित रूप से संस्थान के आत्म-संधारणीयता की दिशा में एक कदम होगा। आईपीएफटी ने जीएफआर-2017 को लागू कर दिया है और वह केवल जेम/सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ही सभी खरीद कर रहा है।

5.36 अनुदान की मांग 2020-21 पर रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान आईपीएफटी के एक प्रतिनिधि ने समिति को सभापति द्वारा मिट्टी, जल और हवा में कीटनाशक अवशेषों के बारे में पूछे जाने पर बताया:-

"महोदया, आपने मिट्टी, जल और हवा में कीटनाशक अवशेषों के बारे में पूछा था। यह संस्थान इसमें संलग्न है और 3-4 विभिन्न परिदृश्यों में सहायक है। सबसे पहले, उद्योग को कुछ नए उत्पाद शुरू करने होंगे और उन्हें डेटा विकसित करना होगा। इसलिए हम सीबीआई मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। उद्योग हमसे संपर्क करता है और हम मिट्टी और जल में अपव्यय का अध्ययन करते हैं। हम उत्पाद संबंधी सुरक्षा डेटा देते हैं। हम सीबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बताते हैं कि यह कब तक मिट्टी और हवा में बना रहता है। अगर वे इसका पालन करते हैं तो हमारे लिए यह सब ठीक होता है और इस तरह से हम उद्योग का समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह है हम इस बात पर वास्तविक परिदृश्य पर चर्चा करते हैं कि किसानों द्वारा उपयोग किए जाने के बाद कीटनाशकों का क्या होता है। हम किसानों, बाजारों और विभिन्न तरीकों से नमूने एकत्र करके प्रयोग करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलाते हैं। हम राजस्थान में कीटनाशकों की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं जहां मसालों में अवशेषों की सूचना मिली है और कभी-कभी हमारे प्रेषण को रोक दिया गया है। वे नमूनों पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसलिए, हमने उनसे संपर्क किया और एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसमें हम कई वर्षों से बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं और हम एक वर्ष पूरा कर चुके हैं। हमने प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक फसल के 10,000 से अधिक नमूनों का विश्लेषण किया है। हम उसके प्रत्येक पहलू को कवर कर रहे हैं। हमने पाया कि इन कीटनाशकों ने लगभग 9-10 प्रतिशत नमूनों को दूषित कर दिया। तत्पश्चात्, हमने विश्लेषण किया कि कीटनाशक कितना हानिकारक है, क्योंकि यह अधिकतम अवशेष सीमा को पार कर सकता है जो एफएसएसएआई द्वारा अनुशंसित है। चूंकि यह पहला वर्ष है, इसलिए अब हम फीडबैक देंगे और बताएंगे कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक अवशेष पाए गए हैं। हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हम किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक हिस्सा हैं, जो पूरे देश में छोटे-छोटे कामों में अवशेषों का अध्ययन कर रहे हैं। हमें बल्लभगढ़ और फरीदाबाद जैसे कुछ जिलों के लिए हरियाणा राज्य में कार्य सौंपा गया है। हम जल के नमूने और पदार्थों के नमूने भी ले रहे हैं। हम उन्हें फीडबैक दे रहे हैं। अगला कदम उन लक्षित

क्षेत्रों में अच्छी कृषि प्रथाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए होना चाहिए ताकि वे सही मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करें। हम कीटनाशकों के अवशेष रह जाने के कारणों पर भी ध्यान देंगे। हमारे देश में, हम पुरानी पीढ़ी के कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं क्योंकि यह सस्ता है। कभी-कभी, किसान महंगे उत्पादों को नहीं खरीद सकते हैं, हालांकि यह समग्रता के मामले में महंगा नहीं है। वह अन्य देशों में अप्रचलित एमएलसी कनसनट्रेट की धूल का उपयोग कर रहा है। वे अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए, हमारा संस्थान पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों को विकसित करने में लगा हुआ है। सचिव महोदय पहले ही इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं कि हम प्रौद्योगिकी को उद्योग में स्थानांतरित कर रहे हैं। उद्योग हमारे पास आता है और वे हमें बताते हैं कि उन्हें इस प्रकार के उत्पाद की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपयुक्त हो। इसलिए, हम उनके लिए प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं। इसके अलावा, संस्थान जैव-कीटनाशकों को विकसित करने में लगा हुआ है क्योंकि आजकल सिंथेटिक कीटनाशकों से जैव-कीटनाशकों की ओर रुझान हो रहा है। अतः, हम इस संबंध में काम कर रहे हैं।"

अध्याय छह

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)

6.1 दिनांक 2/3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. (यूसीआईएल) की पेस्टिसाइड यूनिट के दो टैंकों में रखी हुई मिथाइल आइसोसायनेट (एमआईसी) नामक एक घातक गैस के वातावरण में रिसने के परिणामस्वरूप ऐसी भयानक औद्योगिक आपदा हुई जो परिमाण में अतुलनीय थी और इसके कारण भोपाल शहर में बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना के तत्काल बाद विभिन्न राहत और पुनर्वास उपाय किए गए और ये अभी भी जारी हैं। भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 के नाम का एक अधिनियम बनाया। अधिनियम 20 फरवरी, 1985 से लागू हुआ। इसने भारत सरकार को गैस आपदा से उठने वाले दावों के संबंध में सभी मुकदमों को अपने नियंत्रण में लेने और पीड़ित और प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के तहत, पंजीकरण, प्रसंस्करण, प्रत्येक दावे और अपीलों, यदि कोई किया जाता है, के लिए क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई जिसे भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का पंजीकरण और कार्रवाई) योजना, 1985 के रूप में जाना जाता है। बीजीएलडी के कारण हुई मानवीय पीड़ा की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14 और 15 फरवरी, 1989 को समझौता आदेश पारित कर दिया जिसमें यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसे कंपनी द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास फरवरी, 1989 में जमा करा दिया गया था। मुआवजों के संवितरण की वास्तविक प्रक्रिया वर्ष 1992 में आरंभ हुई और दिसंबर 2019 तक कल्याण आयुक्त कार्यालय ने मृत्यु, स्थायी अपंगता, अस्थायी अपंगता, अत्यंत गंभीर चोटें, कम गंभीर चोट, सम्पत्ति का नुकसान/पीएसयू एवं पशुधन की हानि जैसी श्रेणियों में 5,74,393 दावेदारों को मुआवजे के रूप में 1549.32 करोड़ रुपए बांटे/संवितरित किए।

मुख्य शीर्ष 2852 – उद्योग – भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)

(करोड़ रुपये में)

लेखा	2018-19	2019-20		2020-21
	वास्तवित	ब.अ.	स.अ.	ब.अ.
	20.98	21.42	27.95	31.80

6.2 जब यह पूछा गया कि क्या सभी पीड़ितों और उनके उत्तराधिकारियों के दावों का निपटारा किया गया है, और जब उन दावेदारों की संख्या का विवरण मांगा गया जिन्हें अनुग्रह राशि/मुआवजा प्रदान किया गया है, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

"मृत्यु, स्थायी अपंगता, अत्यंत गंभीर चोट, कैंसर, गुर्दे की पूर्ण खराबी, अस्थायी विक्लांगता की श्रेणी में अनुमानित 62,448 गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा 874.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। 31 जनवरी, 2020 तक 49,972 मामलों में 835.06 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है और 11,505 मामलों को अस्वीकृत किया गया है तथा अनुग्रह राशि का संवितरण जारी है।"

6.3 जब अनुदानों की मांग 2020-21 में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने मुआवजे के कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा के बारे में पूछा तो संयुक्त सचिव, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने निम्नवत् बताया:-

"महोदय, भूतपूर्व भुगतान के लिए दो अतिरिक्त श्रेणियां जोड़ी गईं, जिन्हें कोई मूल मुआवजा नहीं दिया गया था। वे श्रेणियां हैं: कैंसर के मामले और गुर्दे की विफलता की कुल संख्या। ये सभी मामले मूल रूप से कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रशासित हैं। इसमें धन की कोई कमी नहीं है। यह केवल समय की बात है कि उन्हें अंततः एक निर्णय पारित करना है। मैं आपको यह भी बता दूँ कि प्रत्येक मामले का निर्णय न्यायिक तरीके से किया जाता है क्योंकि कल्याण आयुक्त का कार्यालय भोपाल के उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में होता है और हमारे पास अतिरिक्त आयुक्त हैं जो न्यायपालिका से हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास उपायुक्त हैं और भी न्यायपालिका से हैं। अतः, यह पूरी तरह से एक न्यायिक प्रक्रिया है। आदेश पारित होने के पश्चात् मुआवजा या अनुग्रह राशि व्यक्तियों को वितरित की जाती है।"

6.4 भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी कल्याण कार्यालय के रजिस्ट्रार ने समिति को बताया कि:-

"जी हां, सर। विवाद सामने आ रहे हैं। मुकदमेबाजी के पहले दौर में, मूल मुआवजा तब वितरित किया गया था, जब ब्याज 470 मिलियन रुपये की राशि पर अर्जित किया गया था। उसका ब्याज माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से 5,72,000 गैस पीड़ितों के बीच वितरित किया जाना था। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। उनमें से अधिकांश को अब मुआवजा दिया गया है। उनमें से कुछ, केवल दस या ग्यारह हजार, जो उपस्थित नहीं हुए थे वे अभी भी वहां हैं। वे ट्रेस करने योग्य नहीं हैं क्योंकि वे

कुछ अन्य स्थानों पर चले गए हैं हमारे पास पूर्व भुगतान भी है। लगभग 837 करोड़ रुपये का भुगतान वितरित किया गया है। माननीय सचिव द्वारा कैंसर, किडनी की समस्याओं और विभिन्न अन्य तरह के पीड़ितों का नामांकन किया गया। जो दावेदार उप कल्याण आयुक्त, अतिरिक्त कल्याण आयुक्त और आयुक्त द्वारा आवंटित राशि से संतुष्ट नहीं हैं उन्होंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई। अतः, ये मामले लंबित हैं।

6.5 मुआवजा/अनुग्रह राशि के संबंध में, समिति को साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया गया:-

"कुछ इस तरह की श्रेणियां हैं: (1) मृत्यु, (2) अत्यधिक गंभीर चोटें, (3) स्थायी, आंशिक विकलांगता, (4) अस्थायी विकलांगता, और (5) गुर्दे का खराब होना। हमने पहले तीन श्रेणियों को मूल मुआवजे से और यूनिजन कार्बाइड द्वारा भुगतान की गई धनराशि से कवर किया है। अगली दो श्रेणियों को भारत सरकार के वित्तपोषण के भुगतान से संबद्ध की गई। मृत्यु के मामले में दी जाने वाली कुल राशि 10 लाख रुपये निर्धारित की गई जिसमें मूल, यथानुपात और अनुग्रह राशि सम्मिलित है। ये तीनों 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 लाख रुपये एक ऐसे व्यक्ति के परिवार को दिए जाने थे जिसकी मृत्यु गैस रिसाव के कारण हुई है। अत्यधिक गंभीर चोट के लिए, तय की गई राशि कुल मिलाकर 5 लाख रु. है। स्थायी, आंशिक विकलांगता के लिए कुल 5 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। कैंसर के लिए यह राशि 2 लाख रुपये है। गुर्दे की विफलता के लिए यह राशि 2 लाख रुपये है। अस्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित है। मुआवजे के लिए यह पैमाना निर्धारित था।"

6.6 जब सभी दावों के निपटान में देरी के कारण और सभी दावों के निपटारे की संभावित समय सीमा के बारे में पूछा गया तो विभाग ने निम्नवत् बताया:-

मृत्यु, स्थायी विकलांगता, अत्यधिक गंभीर चोट, कैंसर, गुर्दे की पूर्ण खराबी और अस्थायी विकलांगता की श्रेणी में अनुमानित 62,448 गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा 874.28 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई। कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल में 31.07.2019 तक 20,540 आवेदन (14,303 कैंसर और 6312 गुर्दे की पूर्ण खराबी) प्राप्त हुए हैं। चूंकि इन श्रेणियों के तहत आवेदन प्राप्त करने के लिए कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है, इसलिए इन श्रेणियों के तहत मुआवजे के लिए लगातार आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। पीड़ितों द्वारा दायर किए गए दावों पर फैसला भोपाल

गैस रिसाव त्रासदी (दावों की प्रोसेसिंग) अधिनियम, 1985 के और उसके तहत बनाई गई योजना के तहत न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो दावेदार को अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। यदि कोई दावेदार उप कल्याण आयुक्त के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह अधिनियम के तहत अपील दायर करने के साथ-साथ समीक्षा का भी हकदार है। दावों पर फैसला करने वाले अधिकारियों की सभी सेवाएं उच्च न्यायिक सेवाओं के साथ-साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन राज्य न्यायपालिका की न्यायिक सेवाओं से भी प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की जाती हैं। विभिन्न अदालतों में जुलाई, 2019 तक लंबित अपील/समीक्षा नीचे दी गई हैं:—

अपील न्यायालय	1672
रिविजनल न्यायालय	652
माननीय सर्वोच्च न्यायालय	27

जब तक कि इन अपीलों/समीक्षा का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक गैस पीड़ितों के दावों के निपटान की कोई संभावित तारीख नहीं दी जा सकती है।"

6.7 जब साइट से विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के बारे में पूछा गया, तो रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के संयुक्त सचिव ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को निम्नवत् बताया:—

"साइट से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि अब कोई पर्यावरणीय प्रदूषण न हो से संबंधित एक अन्य कार्यक्रम है। उससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं। यह काम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि भारत सरकार, मंत्रियों और मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि यह राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि यह भूमि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकरण राज्य सरकार होने के नाते लीज पर ली गई है लेकिन यह काम केंद्र सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तकनीकी पर्यवेक्षण के तहत किया जाना चाहिए। डीसीपीसी सभी बातों को समन्वित करने वाला नोडल मंत्रालय रहा है। विभिन्न कारणों के चलते सभी काम ठीक प्रकार से नहीं हो सके और आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने वहां फैले सभी अपशिष्टों के निपटान की सबसे अच्छी विधि शुरू करने का निर्देश दिया। अतः, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 10 मीट्रिक टन लगभग 350 मीट्रिक टन कचरे को निकालने के लिए ट्रायल रन किया गया। वह सफलतापूर्वक किया गया। अब, शेष कचरे को जलाने के लिए कार्य जारी है और

तत्पश्चात् साइट को साफ किए जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई संदूषण और पर्यावरणीय गिरावट नहीं हो, के लिए कार्य किया जाएगा।"

6.8 इसके अतिरिक्त, जब साइट को साफ किए जाने संबंधी समय-सीमा के बारे में पूछा गया तब संयुक्त सचिव, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने मौखिक साक्ष्यों के दौरान समिति को निम्नवत् बताया:-

"जहाँ तक साइट की सफाई का संबंध है तो वास्तव में यह मध्य प्रदेश सरकार पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश सरकार को पूरे कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है। धन की कोई कमी नहीं है। वास्तव में उन्हें आगे बढ़ना है और पर्यावरण और वन मंत्रालय के तकनीकी मार्गदर्शन में परामर्श और निपटान कार्य करना है। डीसीपीसी केवल पूरे प्रयास को समन्वित करने का प्रयास कर रहा है। हर बार हम समस्याओं और बाधाओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं विभिन्न कारणों से यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब हमने वास्तव में इसे निरीक्षण समिति के पास ले जाने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण और वन मंत्रालय के मंत्री कर रहे हैं।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

सिफारिश क्रम संख्या 1

रसायन और पेट्रोरसायन का उत्पादन

समिति यह नोट करती है कि रसायन उद्योग जानकारी युक्त के साथ-साथ पूंजी से जुड़ा उद्योग भी है और यह बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्न अंग है। इसमें रसायन और इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, पेंट्स, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र, टॉयलेटरी आदि शामिल हैं। रसायन उद्योग में बहुत विविधता है और इसमें अस्सी हजार से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। देश में 2019-20 के दौरान उत्पादन और खपत संबंधी प्रक्षेपण का अनुमान है। क्रमशः 51,241 मीट्रिक टन रसायनों और 59,202 मीट्रिक टन पेट्रोरसायन उत्पादन और खपत के बीच अंतराल को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। 2018-19 के दौरान, देश ने 3.95 लाख करोड़ रु. के रसायनों और पेट्रोरसायनों का आयात किया है। चूंकि देश की आवश्यकताओं के अनुसार रसायनों और पेट्रोरसायनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आयातों पर भारी व्यय को कम करना बहुत आवश्यक है, इसलिए समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है:-

- (i) सरकार को देश में उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले रसायनों और पेट्रोरसायनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू करने चाहिए।
- (ii) चूंकि यह एक पूंजी से जुड़ा उद्योग है, इसलिए इस क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और मंजूरी देने में देरी को कम किया जाना चाहिए।
- (iii) विश्वस्तर के बुनियादी ढाँचे के साथ देश में विश्वस्तरीय क्षमता संयंत्र स्थापित करने के लिए सभी पहलें की जानी चाहिए।
- (iv) देश में क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू इकाइयों की क्षमता उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। मौजूदा संयंत्रों की क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

सिफारिश क्रम संख्या 2

रसायनों और पेट्रो रसायनों के कर स्ट्रैक्चर की समीक्षा

विचार-विमर्श के दौरान बार-बार यह नोट किया गया है कि कई उत्पाद श्रेणियों में, भारतीय निर्माता विभिन्न देशों के सस्ते आयातों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। चूंकि रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह बात महत्वपूर्ण है कि घरेलू निर्माताओं के लिए टैरिफ संरक्षण के मुद्दे पर पुनः विचार किया जाए। समिति ने पुरजोर सिफारिश की है कि विभाग को बढ़े

हुए घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र पर लागू जीएसटी और कस्टम संबंधी सीमा-शुल्क के स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समूह का गठन करना चाहिए। समिति में वित्त मंत्रालय, निजी क्षेत्र और उद्योग मंडलों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। इस समूह को 8 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ तत्काल गठित किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि इस पर विभाग एक पृथक की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन तैयार करे।

सिफारिश क्रम संख्या 3

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग का बजट आवंटन

समिति ने यह नोट किया है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के लिए बजट अनुमान वर्ष के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित 227.56 करोड़ रुपए के मुकाबले 218.34 करोड़ रुपए है। भोपाल गैस रिसाव आपदा (31.80 करोड़ रुपए), केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान (98.25 करोड़ रुपए) और कीटनाशक निरूपण प्रौद्योगिकी संस्थान (11 करोड़ रुपए) के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान (2020-21) पूरी तरह से बिना किसी कटौती के आवंटित किया गया है। हालांकि, "पेट्रोरसायन की नई योजनाएं" के लिए आवंटन, जिसके तहत दो उप-योजनाओं अर्थात् "प्लास्टिक पार्कों की स्थापना" और "पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना", के लिए निधि की आवश्यकता में प्रस्तावित राशि 60.86 करोड़ रु., 53.79 करोड़ रु. तक कम की गई है लेकिन योजना के लिए वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लिए वास्तविक व्यय का औसत योजना के लिए आवंटित कुल राशि का केवल 73.9% था। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को विशिष्ट योजनाओं के लिए निधियों की आवश्यकता का उचित विश्लेषण करना चाहिए और विभाग द्वारा पूरी तरह से आवंटित निधियों का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वित्त मंत्रालय इसकी योजनाओं के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित पूर्ण निधियों का आवंटन करने में सक्षम हो सके।

सिफारिश क्रम संख्या 4

प्लास्टिक पार्क की स्थापना

समिति इस बात को नोट करती है कि विभाग प्लास्टिक पार्क योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरत आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना करना है जो कि अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो क्लस्टर डेवलपमेंट दृष्टिकोण के माध्यम से सामान्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है और घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताएं समेकित करके बढ़ाने और उनके साथ तालमेल बैठा रहा है। योजना का दूसरा उद्देश्य निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में योगदान करना है। इस योजना के

तहत, भारत सरकार परियोजना लागत का 50% तक अनुदान राशि प्रदान करती है प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपए की सीलिंग की बात के साथ परियोजना के पहले चरण में, सरकार ने छह प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य में दो और ओडिशा, असम, झारखंड और तमिलनाडु राज्यों में एक-एक। इस संबंध में, समिति यह नोट करके चिंतित है कि इनमें से किसी भी पार्क में वास्तविक उत्पादन गतिविधियां नहीं हुई है। कार्य की भौतिक प्रगति अब केवल तमोटा, मध्य प्रदेश और पारादीप, ओडिशा में पूरी हुई है, भले ही इन पार्कों को 2013 में मंजूरी दी गई थी। अन्य चार पार्कों में, काम की प्रगति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे चरण में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के राज्यों के लिए चार और पार्क स्वीकृत किए गए हैं जो डीपीआर चरण में हैं। प्लास्टिक के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए इन पार्कों के महत्व को देखते हुए, समिति, यह सिफारिश करती है कि विभाग को निश्चित समय के भीतर पहले चरण के सभी छह पार्कों के पूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और उच्चतम स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाकर दूसरे चरण में स्वीकृत चार पार्कों में कार्यों को मंजूरी और शुरू किया जाए।

सिफारिश क्रम संख्या 5

प्लास्टिक पार्कों के लिए उद्यमियों की प्रतिक्रिया

समिति यह नोट करके चिंतित है कि विशेष रूप से भूमि की उच्च लागत, कच्चे माल की उच्च लागत आदि के कारण प्लास्टिक पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया का अभाव है। समिति इस संबंध में राज्य सरकारों को भूमि की लागत को कम करने, उद्यमियों को पट्टे/किराए के आधार पर जमीन देने, कच्चे माल आदि पर विशेष छूट प्रदान करने के लिए आश्वस्त करने हेतु विभाग द्वारा उठाए गए कदमों को नोट करती है। उद्यमियों से उचित जवाब के बिना सिर्फ बुनियादी ढांचे का निर्माण योजना के उद्देश्य को विफल कर देगा, अतः समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को संबंधित राज्यों पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए इन पार्कों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जोर देना चाहिए और उन्हें आश्वस्त करने के लिए या तो जमीन की लागत को कम करना चाहिए या उद्यमियों को पट्टे/किराया आधार पर भूमि प्रदान करना चाहिए ताकि वे उन्हें वित्तीय कठिनाइयों के बिना अपनी इकाइयों को स्थापित करने के लिए सक्षम बना सकें। विभाग को प्लास्टिक पार्कों में इकाइयों को रियायती दरों पर कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी कदम उठाने चाहिए। प्लास्टिक पार्कों में प्रचार भी उद्योग संघों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में किया जाना चाहिए ताकि प्लास्टिक पार्कों में अपनी इकाइयों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आकर्षित किया जा सके।

सिफारिश क्रम संख्या 6

एचओसीएल की भूमि की बिक्री

समिति ने यह नोट किया है कि भारत सरकार ने 17.05.2017 को एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। अब तक सरकार द्वारा अनुमोदित कुल लगभग 684 एकड़ भूमि में से बीपीसीएल हेतु बिक्री के लिए, केवल लगभग 375 एकड़ की बिक्री और पंजीकरण पूरा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बीपीसीएल द्वारा खरीदी गई जमीन की बाड़ लगाने के विरोध और बीपीसीएल को एचओसीएल भूमि बिक्री के संबंध में ग्रामीणों की चिंताओं और मांगों पर ध्यान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित कोंकण के संभागीय आयुक्त के तहत समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कारण शेष लगभग 309 एकड़ भूमि की बिक्री कानून और व्यवस्था की स्थिति से प्रभावित हुई है। इस संबंध में, समिति ने यह नोट किया है कि मुद्दों के समाधान में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है। समिति स्थानीय लोगों को भूमि के स्वामित्व के बारे में आश्वस्त करके और उन्हें वैकल्पिक भूमि या राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त मुआवजा प्रदान करके जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करने की सिफारिश करती है।

सिफारिश क्रम संख्या 7

एचओसीएल की कोच्चि इकाई

समिति यह जानकर निराश है कि कम कीमतों पर फिनोल का आयात एचओसीएल कोच्चि इकाई के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। कोच्चि इकाई ने वित्त वर्ष 2018-19 में 472 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 22.47 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया था, लेकिन कम कीमतों पर फिनोल के आयात ने एक बार फिर इकाई को वित्त वर्ष 2019-2020 (3.2.2019 तक) में 58.49 करोड़ के निवल नुकसान की ओर धकेल दिया है। इस संबंध में, एचओसीएल ने डीजीटीआर, वाणिज्य मंत्रालय को फिनोल आयातों पर सुरक्षित गार्ड ड्यूटी लगाने और यूएसए और थाईलैंड से फिनोल आयातों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए भी आवेदन किया है। समिति दृढ़ता से यह सिफारिश करती है कि विभाग को एचओसीएल की शिकायत को हल करने के लिए फिनोल पर सुरक्षित गार्ड और एंटी-डंपिंग ड्यूटी को लागू करने के लिए मामले को और अधिक सख्ती से वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए ताकि एक और सार्वजनिक उपक्रम को बंद किये जाने को रोका जा सके।

सिफारिश क्रम संख्या 8

एचएफएल को बंद किया जाना

समिति ने यह नोट किया है कि एचएफएल के मौजूदा परिचालन की गैर-व्यवहार्यता को देखते हुए, विभाग ने इसे बंद करने का एक प्रस्ताव लाकर और

सरकार ने 22.01.2020 को सीसीईए ने एचएफएल के संयंत्र/इकाई को बंद करने और कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों (स्केलटल कर्मचारियों को छोड़कर) को वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से अलग किया जाना है; गैर-वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार वापस लिया जाना है। भारत सरकार ने वीआरएस/वीएसएस व्यय सहित तत्काल बंद करने संबंधी देनदारियों को निपटाने और स्केलटल कर्मचारियों के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए एचएफएल को 77.20 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। समिति ने यह नोट किया है कि 77.20 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण जारी नहीं किया गया है और 2020-21 के बजट अनुमान में कोई आवंटन भी नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर, समिति एचएफएल के कर्मचारियों के भविष्य के बारे में चिंतित है और सिफारिश करती है कि एचएफएल को ब्याज मुक्त ऋण को आगे बिना किसी देरी के जारी किया जाना चाहिए ताकि जिन कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस दिया जाना है उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

सिफारिश क्रम संख्या 9

एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड

समिति का मानना है कि एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड की अधिकृत और सशुल्क शेयर पूंजी क्रमशः 100 करोड़ रु. और 91.33 करोड़ रु. है। इसके 100% शेयर भारत सरकार के पास हैं। समिति यह जानकर संतुष्ट है कि 2006-07 में स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद, एचआईएल लगातार लाभ अर्जित कर रहा है। एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड ने अब फसलों और सब्जियों के लिए बीज, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और जैव-उर्वरकों के व्यापार जैसे उत्पादों और व्यवसायों की एक विस्तृत शृंखला में कदम रखा है। समिति को अवगत कराया गया था कि एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड ने कंपनी के टर्नओवर को वर्ष 2024 तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भरता के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई है। समिति को एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड की एक व्यापक योजना के बारे में बताया गया और समिति का विचार है कि यदि योजना को क्रियान्वित किया जाता है तो यह न केवल एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक होगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिलेगा। हालाँकि समिति यह भी नोट करती है कि यह योजना एचआईएल के अधीन है, जो 200 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी और 200 करोड़ रुपये की सीएपीईएक्स के लिए निधियां सृजित करने में सक्षम है। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि विभाग उपरोक्त उल्लिखित योजना को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में एचआईएल भारत की मदद करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। विभाग को अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों में एचआईएल की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए। इसके अलावा समिति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

के एनवीबीडीसीपी से डीडीटी आपूर्ति के लिए भुगतान में निरंतर देरी पर गंभीर विचार करती है जो एचआईएल की कार्यशील पूंजी को प्रभावित करती है। इस संबंध में समिति यह सिफारिश करती है कि मामले को उस मंत्रालय के साथ प्रारंभिक डीडीटी भुगतान के लिए उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए। समिति की यह सिफारिश उसके द्वारा विशिष्ट की गई कार्यवाही उत्तर के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

सिफारिश क्रम संख्या 10

सीआईपीईटी

समिति यह नोट करती है कि सीआईपीईटी युवाओं को पॉलीमर प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी रोजगार प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं और इस प्रकार देश में प्रेषण लाने में मदद कर रहे हैं। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि लगभग 5 लाख छात्र अभी तक विभिन्न सीआईपीईटी केंद्रों में प्रशिक्षित/कुशल हैं और इस विचार के हैं कि अधिक सीआईपीईटी केंद्र लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में युवाओं की आवश्यकता को पूरा करेंगे। समिति यह नोट कर संतुष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के छात्र भी, विशेष रूप से युवा, सीआईपीईटी में शामिल हो रहे हैं और इन क्षेत्रों की महिलाओं को सीआईपीईटी केंद्रों में प्रशिक्षण के बाद पारिश्रमिक नौकरियां मिल रही हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, समिति देश के अन्य हिस्सों में और अधिक सीआईपीईटी केंद्र खोलने की सिफारिश करती है, ताकि युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और उन्हें लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सीआईपीईटी केंद्रों में प्रवेश देते समय केंद्रीय सरकार के उचित आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए। समिति को पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों जैसे अजा, अजजा, ओबीसी छात्रों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के प्रवेश-प्राप्त और उत्तीर्ण छात्रों की जानकारी प्रदान की जाए।

सिफारिश क्रम संख्या 11

सीआईपीईटी का नाम परिवर्तन

समिति यह नोट करती है कि सीआईपीईटी 13 अलग-अलग दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, सीआईपीईटी प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के पूरे स्पेक्ट्रम में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं (टीएसएस) प्रदान करता है। समिति यह पाती है कि केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ

पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करना सीआईपीईटी संस्थान के पाठ्यक्रम के व्यापक दायरे के संदर्भ में अधिक उपयुक्त होगा। समिति का विचार है कि सीआईपीईटी द्वारा प्रस्तावित नया नाम संस्थान में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण को कहीं अधिक सटीकता से प्रदर्शित करेगा। इसलिए समिति का सुझाव है कि सीआईपीईटी का नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया जाए।

सिफारिश क्रम संख्या 12

प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन केंद्रों (डब्ल्यूएमसीएस) स्थापित किया जाना

समिति यह नोट करती है कि सीआईपीईटी के चार प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र (डब्ल्यूएमसीएस) अहमदाबाद, बंगलुरु, पटना और वाराणसी केंद्रों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। विभाग ने इन डब्ल्यूएमसीएस की स्थापना के लिए वित्त मंत्रालय से 2019-20 के दौरान 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी लेकिन यह प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में डब्ल्यूएमसीएस के लिए भूमि की पहचान करने का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में, समिति का मानना है कि शहरों में दैनिक रूप से संचित हो रहे बड़ी मात्रा में कचरे, विशेष रूप से प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करने के लिए डब्ल्यूएमसीएस बहुत आवश्यक है। इसलिए, समिति का सुझाव है कि विभाग और सीआईपीईटी द्वारा इन चार डब्ल्यूएमसीएस को समयबद्ध तरीके से स्थापित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय को इन केंद्रों के महत्व के बारे में अवगत कराकर इस उद्देश्य के लिए वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान/अनुपूरक मांग में बजटीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, देश के अन्य शहरों में भी डब्ल्यूएमसीएस स्थापित किए जाने चाहिए।

सिफारिश क्रम सं. 13

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्म्युलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)

समिति यह नोट करती है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्म्युलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) सुरक्षित पर्यावरण के लिए नवीन और पर्यावरण-अनुकूल नई पीढ़ी के कीटनाशक तैयार करने की तकनीकें विकास तथा साथ ही कीटनाशकों और उनके अवशिष्टों का पता लगाने और विश्लेषण करने के तरीके विकसित करने में समर्पित देश का अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। कीटनाशक अवशिष्टों का पता लगाने के लिए मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण की वर्तमान और भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोगशाला उपकरणों का अधिग्रहण करने में संस्थान को सक्षम बनाने के लिए बजट अनुमान 2020-21 में 11 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई राशि प्रदान की गई है। समिति का विचार है कि इस संस्थान की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए और समिति निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहेगी :-

- एक. संस्थान को किसानों के उपयोग के लिए पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी कीटनाशकों का विकास करना चाहिए। पूरे देश में सिंथेटिक कीटनाशकों की जगह जैव कीटनाशक विकसित किए जाने चाहिए।
- दो. देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मिट्टी और जल निकायों में कीटनाशकों के अवशिष्टों की मात्रा का विश्लेषण/परीक्षण किया जाना चाहिए और किसानों को विशेष रूप से फसल की खेती के लिए सही मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियां अपनाने हेतु शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर उचित उपाय किए जाने चाहिए।
- तीन. विभाग को इस संस्थान की और अधिक शाखाएँ खोलने की व्यवहार्यता की जाँच करनी चाहिए जिससे कि देश के चारों क्षेत्रों में कम-से-कम एक संस्थान का संचालन हो सके ताकि समयबद्ध तरीके से मिट्टी और पानी का विश्लेषण किया जा सके।

सिफारिश क्रम संख्या 14

यूसीआईएल, भोपाल में जहरीले कचरे को हटाना

समिति यह नोट करके अत्यधिक चिंतित है कि भोपाल गैस रिसाव आपदा के 35 साल बाद भी विषैले कचरे का बड़ा ढेर अभी भी यूसीआईएल स्थल पर पड़ा हुआ है। इसे किसी कारण से निपटाया नहीं जा सका है। विषाक्त अपशिष्ट भूजल को दूषित कर सकता है और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा है। इस संबंध में, समिति यह नोट करती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत एक परीक्षण किया गया, जिसमें 350 मीट्रिक टन कचरे में से 10 मीट्रिक टन कचरे को जलाने का कार्य किया गया जो सफल रहा। इस संदर्भ में, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि भारत सरकार को यूसीआईएल स्थल पर पड़े शेष जहरीले अपशिष्टों के निपटान के मामले को उठाना चाहिए और राज्य सरकार के साथ स्थल की मरम्मत को और अधिक तेजी से वर्ष 2020 के भीतर ही पूरा करना चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि त्रासदी के 35 साल बाद भी जहरीले कचरे का निपटान केंद्र सरकार के शिथिल रवैये को दर्शाता है क्योंकि यह उचित समय है कि सफल इन्सीनरेशन परीक्षण के मद्देनजर जहरीले कचरे का निपटान किया जाए।

सिफारिश क्रम संख्या 15

बीजीएलडी के पीड़ितों को मुआवजा

समिति यह नोट करती है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अनुग्रह-राशि का मुआवजा देने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कल्याण आयुक्त का कार्यालय जो कि एक न्यायिक निकाय है, पीड़ितों को मुआवजे/अनुग्रह-राशि प्रदान/वितरण करता है। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन द्वारा जमा की गई मुआवजा राशि में से

5,74,393 दावेदारों को मुआवजे के रूप में 1549.32 करोड़ रुपये दिए जाने तय किया गया था। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार 49972 पीड़ितों को अनुग्रह-राशि के रूप में 835.06 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अनुग्रह-राशि का संवितरण अभी भी जारी है। समिति यह नोट करती है कि कैंसर और गुर्दे पूरी तरह से खराब हो जाने के मामले में केवल 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। चूंकि यह राशि पर्याप्त नहीं हो सकती, इसलिए समिति का सुझाव है कि इन दो मामलों में अनुग्रह-राशि को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है ताकि पीड़ितों को कैंसर और गुर्दे पूरी तरह से खराब हो जाने के मामले में उचित उपचार मिल सके। इसके अलावा, समिति का सुझाव है कि सभी पीड़ितों को ज्यादा अपील प्रक्रियाओं के बिना, मुआवजे/अनुग्रह-राशि देने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें मुआवजा/अनुग्रह-राशि शीघ्र प्राप्त हो सके।

नई दिल्ली;
18 मार्च, 2020
28 फाल्गुन, 1941 (शक)

कनिमोड़ी करुणानिधि,
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति।

परिशिष्ट एक

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-2020) की
दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 5 मार्च, 2020 को 1500 बजे से 1700 बजे तक
समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
3. श्री सत्यदेव पचौरी
4. श्री अरुण कुमार सागर
5. श्री एम. सेल्वराज
6. इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु
7. श्री एच. वसंतकुमार
8. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
9. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
10. श्री दीपक बैज
11. डॉ. मनोज राजोरिया
12. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल

राज्य सभा

13. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
14. डॉ. अनिल जैन
15. श्री अहमद अशफाक करीम
16. श्री विजय पाल सिंह तोमर
17. श्री अरुण सिंह

सचिवालय

1. श्री मनोज कुमार अरोड़ा — विशेष कार्य अधिकारी
2. श्री ए.के. श्रीवास्तव — निदेशक
3. श्री सी. कल्याणसुन्दरम — अपर निदेशक

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी. राघवेन्द्र राव — सचिव
2. सुश्री अलका तिवारी — अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
3. श्री समीर कुमार बिस्वास — संयुक्त सचिव
4. श्री काशी नाथ झा — संयुक्त सचिव
5. श्रीमती गोधुलि मुखर्जी — आर्थिक सलाहकार
6. श्री एन.के. संतोषी — उप-महानिदेशक
7. सुश्री दीपिका जैन — मुख्य लेखा नियंत्रक
8. श्री राजेन्द्र कुमार सोनी — निदेशक
9. श्री डी.के. मदान — निदेशक
10. डॉ. पी.जी.एस. राव — निदेशक
11. श्री एच.काम सुआनथंग — निदेशक

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि

12. श्री रीप हज़ारिका — प्रबंध निदेशक, बीसीपीएल
13. डॉ. जितेंदर कुमार — निदेशक, आईपीएफटी
14. डॉ. एस.के. नायक — महानिदेशक, सीआईपीईटी
15. श्री एस.बी. भिड़े — मुख्य प्रबंध निदेशक, एचओसीएल
16. श्री एस.पी. मोहंती — मुख्य प्रबंध निदेशक, एचआईएल
17. श्री धनंजय श्रीवास्तव — मुख्य महाप्रबंधक, आईओसीएल

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। माननीय सभापति ने समिति की बैठक की कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर आकृष्ट भी किया।

3. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सचिव ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों के संबंध में कतिपय पहलुओं को लेकर पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी जो निम्नवत् है:-

- (एक) विजन स्टेटमेंट 2024-25
- (दो) विभाग के अधीन संगठन
- (तीन) विभाग की स्कीमें
- (चार) सिपेट एवं इसकी उपलब्धियां
- (पांच) आईपीएफटी की उपलब्धि

4. चर्चा के दौरान माननीय सभापति और समिति के सदस्यों ने वर्ष 2020-21 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों तथा इनसे जुड़े कतिपय पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जैसे कि :-

- (एक) प्लास्टिक पार्क तथा स्कीम को सफल बनाने में विलंब
- (दो) सिपेट की उद्योग को सहायता
- (तीन) भारत सरकार की सिपेट को प्रौद्योगिकी सहायता
- (चार) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का बंद होना
- (पांच) रसायन और पेट्रोरसायन का आयात
- (छह) भोपाल गैस त्रासदी

5. सभापति ने साक्षियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने तथा उसे बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें यह भी कहा गया कि वे उन बिन्दुओं/प्रश्नों के संबंध में अपेक्षित जानकारी/स्पष्टीकरण यथाशीघ्र लिखित में दें, जो उस समय उनके पास उपलब्ध नहीं थी।

6. साक्षियों के समिति कक्ष से चले जाने के बाद समिति का समिति कक्ष में विचार-विमर्श हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 मार्च, 2020 को समिति की अगली बैठक हो जिसमें रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीनों विभागों की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति के प्रतिवेदनों को विचारोपरान्त स्वीकृत किया जाए और 'आयात तथा निर्यात सहित पेट्रोरसायन की मांग और उपलब्धता' विषय के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया जाए। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि 27 तथा 28 अप्रैल, 2020 को समिति की अगली बैठकें हों जिससे कि समिति द्वारा चयनित विषयों की जांच की जा सके।

7. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि यदि समय को मंजूर हो तो समिति के वर्तमान कार्यकाल में 'भोपाल गैस त्रासदी' विषय की जांच की जाए।

8. बैठक की कार्यवाही के शब्दशः रिकॉर्ड की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट दो

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-2020) की
ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 18 मार्च, 2020 को 1000 बजे से 1045 बजे तक
समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
3. श्री सत्यदेव पचोरी
4. श्री अरुण कुमार सागर
5. श्री एम. सेल्वराज
6. श्री प्रदीप कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री एच. वसंतकुमार
9. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
10. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
11. डॉ. मनोज राजोरिया
12. श्री श्रीनिवास पाटिल

राज्य सभा

13. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
14. डॉ. अनिल जैन
15. श्री अहमद अशाफाक करीम
16. श्री विजय पाल सिंह तोमर
17. श्री अरुण सिंह

सचिवालय

1. श्री मनोज कुमार अरोड़ा — विशेष कार्य अधिकारी
2. श्री ए.के. श्रीवास्तव — निदेशक
3. श्री सी. कल्याणसुन्दरम — अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।
3. तत्पश्चात्, समिति ने विचारोपरान्त स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को लिया:-
 - (एक) 'अनुदानों की मांगों 2020-21, संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग);
 - (दो) 'अनुदानों की मांगों 2020-21, संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन (उर्वरक विभाग); और
 - (तीन) 'अनुदानों की मांगों 2020-21, संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन (औषध विभाग)।
4. चर्चा के बाद समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग तथा उर्वरक विभाग के प्रारूप प्रतिवेदनों को किसी संशोधन अथवा बदलाव के बिना एकमत से स्वीकार कर लिया।
5. समिति ने औषध विभाग की अनुदानों की मांगों 2020-21 से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन को निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार किया:-

सिफारिश क्रम संख्या 9

नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए)

समिति इस बात को नोट करती है कि भले ही एनपीपीए उन औषधों का मूल्य नियंत्रित करती हो जो खुदरा मूल्य स्तर पर बेची जाती हैं लगता है वह मूल्य निर्धारण नियंत्रण नहीं रह गया है, जो मूल्य अस्पताल मरीजों से वसूल करते हैं। यह देखा गया है कि बड़े-बड़े अस्पताल औषध कंपनियों से अत्यधिक डिस्काउंट ले लेते हैं लेकिन अंत में वह रोगी ही होता है जिसका खुदरा मूल्य पर बिल बनाया जाता है। यह भी देखा गया है कि बहुत से अस्पताल केवल उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिन पर अत्यधिक अधिकतम खुदरा मूल्य छपा हुआ होता है ताकि रोगियों का बिल बनाए जाने से फायदे वाली बात बन सके इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि एनपीपीए को चाहिए कि वह समग्र विनियामक मूल्यनिर्धारण ढांचे के भीतर अलग से इस पहलू की जांच करे ताकि अस्पतालों में उपचार करा रहे रोगियों से दवाओं के ज्यादा पैसे वसूल न किए जा सकें।

समिति को यह बात देखने को मिली है कि एक आम चलन के रूप में अस्पताल उन रोगियों का बिल बनाते हैं जो आईसीयू में हैं अथवा बेहोशी की हालत में हैं और वे उन औषधियों के लिए उनका बिल बनाते हैं जो उन्हें वास्तव में कभी नहीं दी जातीं। रोगियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के पास इस बात को सत्यापित करने का कोई जरिया नहीं होता है कि वास्तव में जिन दवाइयों का बिल बनाया गया है, वे दवाइयां उन्हें दी गई हैं या नहीं। समिति यह समझती है कि यह मसला सीधे तौर पर विभाग के दायरे में न आ रहा हो लेकिन समिति

विभाग से यह चाहती है कि वह आवश्यक कार्यवाही हेतु इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजे।

सिफारिश क्रम संख्या 12

बंद पड़े औषध निर्माण करने वाले पीएसयू की देयताओं का निपटान

समिति को यह देखने को मिल रहा है कि कर्मचारीवृंद की बकाया धनराशि के साथ सरकारी क्षेत्र के बंद उपक्रमों के पूर्व बिजनेस एसोसिएट्स की भी बहुत बड़ी धनराशि बकाया है जो एडवांस्ड डिपॉजिट, बकाया भुगतान आदि से संबंधित हो सकती है। समिति इस बात की सिफारिश करती है कि विभाग को चाहिए कि वह इन बकाया धनराशि की जांच करे और कानून के उपबंधों के अनुसार इनका भुगतान कराए।

6. तत्पश्चात्, समिति ने सभापति को रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, उर्वरक विभाग तथा औषध विभाग द्वारा प्रतिवेदनों के वास्तविक सत्यापन से उत्पन्न किसी परिणामी बदलाव, यदि कोई हो, करने और संसद के दोनों सदनों में इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।